services of the financial year 2006-07, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRIES OF PANCHAYATI RAJ AND RURAL DEVELOPMENT - *Contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. K. Malaisamy, your party has 11 minutes. Please, keep this time in view.

DR. K. MALAISAMY (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for having given me this opportunity to speak on a very, very important subject, namely, Rural Development and Panchayati Raj. I am very much familiar with this subject as a person hailing from a village which is backward and as a person well aware of the problems and prospects of villagers.

Sir, India is a vast country with huge magnitude of rural base. That is why it is said that India lives in villages. Any development or growth in the country is meaningless unless it is translated in villages. Sir, the problems of villages are manifold. We are fully aware that one-third of the world's poor are in India; more than one-third of the total population of India are below the poverty line; and more than 50 lakh persons are unemployed. What I am trying to say is that the magnitude of the problem not only in villages but also all over the country is very, very huge. The problems in villages in particular are massive and gigantic. Hence, it is a great challenge indeed.

Sir, a right focus has been given on the development of villages ever since Independence. Several programmes were thought of, including

the Community Development Programme, which was a historic landmark in the history of rural development.

Sir, the Ministry of Rural Development and the Ministry of Panchayati Raj have played vital and significant role in the development of villages. Sir, over a period of time, several thoughts were given by our politicians as well as bureaucrats to it. Several new schemes were conceived, and several earlier schemes were restructured, revamped and improved with the result that the focus now has been shifted to the development of rural areas. Sir, as far as the Ministry of Rural Development is concerned, it consists of three Departments - Department of Rural Development, Department of Land Resources and the Department of Drinking Water Supply. Sir, as far as rural development is concerned, it has been envisaged for alleviation of poverty, generation of employment, social security, infrastructure development and improving the quality of life, especially of the people living below poverty line. Sir, for improving the quality of life, they have taken care of five important areas, namely, health, education, drinking water supply, housing and roads. Sir, to achieve this goal, they have gone through several initiatives, as I said earlier. I may touch and go because of want of time. Sir, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, Swaran Jayanti Gram Swarozgar Yojana and Rural Housing are the major schemes which have been implemented by the Rural Development. Then, coming to land resources, Sir, it increased the biomass production by developing wasteland. Not only that, it provides support service to land reforms, revenue system and revenue record. Then, it also undertakes the development of desert areas and drought-prone areas. Sir, the basic aim of the whole thing is that the Constitution warrants the village to formulate, develop and execute the schemes which I have mentioned.

Sir, now, I come to drinking water supply. Here again, now, this is most important. It is a paramount and important scheme for rural development and the Accelerated Rural Development Water Supply Programme is a popular scheme. Total sanitation scheme is also popular.

Sir, I will now come to the most important part of the core observation. Sir, in the Budget, namely, Demands No.78, 79 and 80 relating to Rural Development, Land Resources and Drinking Water Supply we are concerned now. The Finance Minister has just now mentioned what it was and what it is; we have been increase under every scheme and they are giving lot of money. Starting with the Prime Minister followed by the Finance

Minister, what they say is, "money is not a problem; we are giving in abundance." Sir, my observation is, as far as SGRY is concerned, the House and the hon. Deputy Chairman are fully aware that it envisages additional employment and food security and creation of durable assets. This is the basic purpose of this scheme. Sir, what we are able to see is 75 per cent is given by the Centre and 25 per cent is shared by the States and even among the 25 per cent, it is being shared by the three tiers of the local bodies in the ratio of 20:30:50. Sir, what I am trying to ask here is this. In the Revised Budget, the amount of Rs.3,650 crore set apart under SGRY, now has been reduced to Rs.2,700 crore. This amount is consisting of cash component and the foodgrains component. I want a specific answer from the Minister: How Rs.3,650 crore which was originally estimated in the Revised Budget has been reduced to Rs.2,700 crore? This is my first point.

Sir, coming to rural housing, there has been an increase in outlay. I don't deny it. But whatever increase is given in the infrastructural development, roads and bridges, etc. the quantum of increase, according to me, is very, very marginal.

Sir, coming to the other aspect, namely, in rural housing, the allocation of Rs.2,497 crore has been just increased to Rs.2,600 crore and odd. Again for infrastructural development, for earlier year, it was Rs.21,354 crore. It has just been increased to Rs.24,047 crore. What I am trying to say is, the increase given is marginal, not substantial. Sir, in other words, whatever grant the Government gives, under various schemes, is inadequate. In fact, I had been listening to the Treasury Benches, I mean, the UPA allies, who were discussing the Appropriation Bill. It looked as if they were speaking from the Opposition Benches. They were fair enough, and they have to be complimented for calling a spade a spade. They have nicely told how grant is lacking, how it is inadequate and how it is ineffective. This has been pointed out by the Members from the other side, not from this side. Sir, whatever amount was given, as was rightly said by them--I endorse their view - was not adequate and given on time. I tell you an example. Suppose a house is to be built; it comes up to a lintel level. They have to wait months and months together to get second instalment and complete the house. If you really want to give a grant, why can't you give it on time, in one instalment? That is my point, Sir.

Sir, coming to my specific point, what I am trying to highlight, again and again, is that if at all a grant is given under various Schemes,

under the Rural Development and Panchayati Raj, it is inadequate. This is number one. Even if it is adequate, it does not reach the beneficiaries in time. Sir, as a student of management, I have been taught, long ago that the parameters for service and assistance are that it should be continuous; it should be equal; it should be timely; and it should be adequate. These are the four points for consideration. Their service and assistance should go together. Similarly, there should be 3A's, namely, it should be available, it should be accessible and it should be acceptable by the beneficiaries. I would like to know whether these kinds of parameters are met by them. I very much doubt.

Sir, coming to IAY, a housing scheme, which is a very popular scheme, I am sorry to say that, though it is popular, though it is well received by the people, not even one-tenth of the total requirement or the demand is met. This is my point. Sir, the allocation in this scheme has been reduced by the Central Government. I am illustrating the example of Tamil Nadu. The same situation would have been felt by the other States also. I have got the figure, Sir. The allocation in T.N. was reduced, in 2005-06, from Rs.143.59 crores to Rs.130.25 crores due to revised formula. do not know under what circumstance their formula has been revised. If it is revised, why should there be a reduction? The result is a reduction of nearly 7,000 houses from the originally proposed figure, I mean, 39,909 *pucca* houses and 58,568 *kachcha* houses were damaged due to floods. The hon. Deputy Chairman knows that due to Tsunami, followed by the unprecedented floods, in Tamil Nadu, houses were damaged; they had been washed away. Under this Scheme, the need of going in for dwelling houses and upgrading the *kachcha* houses is possible. When the proposal is there, when the natural calamity has occurred, should they not take special care to see that something is done substantially? In spite of the fact that the proposals have been sent, nothing is being done. ...*(Interruptions)*... I am anxiously waiting how Mr. Narayanasamy will react to it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has reacted! ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, Tamil Nadu has got a very good allocation, and the money is received by them ...*(Interruptions)*... Though the Central Government gave the money ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamilnadu): He is always against Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: I am telling my hon. Minister, Mr. Mani Shankar Aiyar, that he should tell the people that the money was given by the Central Government. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Mr. Deputy Chairman, Sir, as you are aware, 3.84 lakh BPL families are being identified 'homeless'. The proposal for additional allocation from the Government of India has already been there; I do not want to go into the details. My main point is that a peculiar situation has arisen in Tamil Nadu after the Tsunami and unprecedented floods. In such a situation, whatever the proposals that have been sent by the Tamil Nadu, should you not consider them? Should you not give extra consideration to them? That is my question. ...*(Time-bell)*...

Coming to an important area, in these days, human lives become static, stagnant and almost lifeless, if you are not provided with power supply. Power supply is to be provided everywhere. But it is not so easy. In remote places, God-forsaken places, inaccessible places, particularly, in tribal areas where power supply is not there, the only solution that one can think of is expanding the non-conventional energy. I am told that nothing has been done in spite of the fact that non-conventional energy arrangement has been with Govt. of India. It has not reached much of the tribal areas.

Coming to land resources, though there is abundant scope for developing desert land or wasteland or drought-prone areas, very little has been done. As far as this aspect is concerned, I submit, Mr. Deputy Chairman, Sir, that, in Tamil Nadu, in respect of wasteland development there has been a major breakthrough. They have done wonderfully well and they have gone too far, as far as the development of this area is concerned. Why don't you take some hints from T.N. and do something? More allocation is necessary for the development of land resources also.

Coming to very specific problem relating to Tamil Nadu - Mr. Narayanasamy may kindly listen to me and then react. As far as the SGSY Schemes are concerned, the nationalised banks are charging different rates of interest while lending to Self-Help Groups. They are lending them money. As far as the nationalised banks are concerned, one bank is charging one rate of interest and another bank is charging another rate of interest. That is number one. Number two is, when they are lending to NGOs, they are lending at a lesser rate of interest than the rate of interest

being charged to Self-Help Groups. Can't they do something concrete in this regard?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Malaisamy, please conclude.

DR. K. MALAISAMY: Sir, coming to one important aspect, which is specific and peculiar to Tamil Nadu, nearly 562 Town Panchayats, which were under the Tamil Nadu Municipalities Act, were downgraded and reclassified as Special Village Panchayats. Now, they come under the Panchayat Act. With the result, whatever grant that they have been getting or that the Urban Development Ministry used to sanction, that is stopped. Now, these Special Village Panchayats do not receive any assistance either from the Rural Development Ministry or from the Urban Development Ministry. None of them is assisting. Now, these 562 Town Panchayats, which have been classified as Special Village Panchayats, are neither here nor there. They are in-between. They are helpless. So, something has to be done. The Tamil Nadu Government has sent a specific proposal in this regard.

Coming to the wage component...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Malaisamy, please conclude.

DR. K. MALAISAMY: When we give employment or manual labour to a member of a family, the wage component consists five kilograms of rice and the rest in cash. The cash component and the rice component put together are being paid as wages. Now, they felt that five kilograms of rice was high and that the quantity should be reduced to three kilograms. Reducing it from five kilograms to three kilograms is well taken. But should he not be compensated for that? Or, shouldn't the cash component be enhanced? You have not done that. You have reduced the quantity of rice from five kilograms to three kilograms, but the cash component remains as it is. Is it not an injustice?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Malaisamy, please conclude. You have taken more time than allotted.

DR. K. MALAISAMY: Sir, you have been nice to everyone except me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have been nice to you also. Your allotted time is 11 minutes. You have already taken 17 minutes. I have been nice to you.

DR. K. MALAISAMY: I will take five more minutes only. I speak very rarely. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANSAMY: Sir, for the hon. Member, it is a system failure. ...*(Interruptions)*...

DR. K. MALAISAMY: Sir, there are other areas like MPLADS. In the case of MPLADS, specific proposals, particularly, after the occurrence of Tsunami and floods, have been sent by the Government of Tamil Nadu. They are pending with the Government of India. They have to clear it. Similarly, 5 per cent allocation has been made for maintaining the durable assets. That is not enough. Now I come to the Panchayati Raj. Sir, while I was commenting, critically, that the grant given by the Ministry of Rural Development has not been enhanced and it has been reduced in certain areas, I would like to compliment the Ministry of Panchayati Raj for increasing the allocation from Rs. 50 crores to Rs. 3,825 crores, which is 7 to 8 times more. He really deserves pat and praise for increasing this allocation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have already taken sufficient time.

DR. K. MALAISAMY: I will take two-three minutes more. Sir, as a former State Election Commissioner, I can talk about the Panchayati Raj System with a little authority. The Ministry's functions are to conduct periodical elections once in every five years, to maintain reservation for SC and ST and women, to set up a Finance Commission, to constitute a District Planning Committee down the level and then develop self-Government and empower the Gram Sabhas, etc. These things are there.I don't want to go into the details. The Minister knows much better than me. I am very much bothered about one thing. One of its functions is to impart training and capacity building of the elected representatives. I would like to know whether it has been done. Many times, the elected representatives, particularly, women representatives, are not equipped fully and no capacity building is done. What exactly is being done by this Ministry to do something on that? Secondly, I would...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This was your last point. Please sit down.

DR. K. MALAISAMY: Sir, the sum and substance of my observation is that scheme-wise it is good, it is laudable. But, at the

same time, whether it has been implemented rightly and correctly and whether it has reached the beneficiaries, is a big question mark. As you know, Sir, one should have an organisation, objective people and operation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is sufficient. You have already spoken about it.

DR. K. MALAISAMY: I would like to say that you should have a comprehensive approach to see whether your structure is okay, whether the people involved are okay. Whether the system or operation is okay. You kindly check it up.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Malaisamy, what is this?

DR. K. MALAISAMY: Secondly, it is said here that they have got a political will to do this and that. It sounds well. Poojaryji is also here. I mentioned it on the other day whether you have got a will and still to implement it rightly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. K. MALAISAMY: Lastly, I would like to know from the hon. Minister as to what is his approach towards making allocations to States, particularly to those States with whom this govt. don't see eye-to-eye.

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the working of the Ministries of Panchayati Raj and Rural Development. Both these Ministries are very important for the development of India. The Annual Report of the Ministry of Rural Development starts with a quotation of Swami Vivekananda. It says, "The real India lives in villages. Unless we are able to uplift the Tribals and the Backward Classes, India faces a dark future." It is true.

First of all, I would like to talk about the Ministry of Panchayat Raj. As I said a day-before-yesterday, I have come through the Panchayat Raj System. I am very much in favour of the Panchayati Raj System. I appreciate the hon. Minister of Panchayati Raj. He himself has admitted

1.00 P.M.

and pointed it out in a Press statement. Sir, it is unfortunate that over the years, despite the constitutional guarantees,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: **Mrs. Vanga Geetha, you continue after** lunch.

After the conclusion of this debate, we will take up Special Mentions.

The House is adjourned to meet at 2 o' clock.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,
THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, I would like to quote the hon. Minister's statement. He has identified the real problem in the three-tier system. He has said, "It is unfortunate that over the years, despite Constitutional guarantees, the Panchayat, at all levels - village, block, taluka and zilla -- has remained dysfunctional because of several parallel bodies of the State and the Centre that are still operating at all these levels. Sir, to overcome this, a Group of Ministers is now examining how the Panchayati Raj institutions could be empowered further instead of just institutionalising them as a village republic".

Firstly, I would like to raise the issue of funds allocated to the Panchayati Raj Ministry. The amount for providing employment is not enough when we take into account the demand specifically. Secondly, the day before yesterday, I mentioned about article 243G of the Constitution, which provides for the devolution of powers to the Panchayats, for empowering Panchayati Raj institutions, including Gram Panchayats, to function as "institutions of self-government" to make plans for economic development and social justice for their respective areas and implementing the programmes of economic development and social justice in their respective areas. The role of Panchayati Raj institutions has its bearing on economic development and social justice in rural areas.

Sir, the Centre should ensure that all the States to which the Constitution 73rd Amendment Act applies have to devolve powers and

responsibilities to the Panchayats in equal measure. Sir, the Panchayati Raj holds the key to *garibi hatao*. This can come about only if the institutions of Panchayati Raj are strengthened at the grass root level. Immediate steps need to be taken to strengthen the Panchayati Raj Institutions.

Sir, the role of the Panchayati Raj system is dependent on three Fs, namely, funds, functions and functionaries. Sir, even now the preliminary work has been completed in some States only. But, in some States, this 3-tier system is not being implemented. The Government should give top priority to transfer of power to the local bodies; otherwise, the meaning of democracy will not be achieved in true sense. I would like to know from the hon. Minister how many States have made the rules for delegating the power to the Panchayati Raj Institutions.

Sir, the Panchayati Raj system should provide a systematic training ground for the people who will take top leadership positions in the country in the future. Women are making impressive strides in their quest for leadership. The Government should incorporate some recommendations of the Eleventh Finance Commission to overcome corruption in the Panchayati Raj system. Before implementing it, the Centre should consult the States. The Government should make serious efforts to institutionalise social audit measures through Gram Sabha so that Gram Panchayats are made responsible to the village community as a whole. The Centre should ensure that the States need to put in place systems that are capable of tracking transfers of funds to Panchayats, both through banks and treasuries. This would definitely ensure tracking of releases and expenditure. The Centre should work with the States to put in place the required hardware and software for this purpose.

Sir, the Ministry should agree to support initiatives taken by the States in computerisation and e-governance of Panchayats as part of the National e-Governance Plan. The Government should set up a committee for the Panchayati Raj Institutions to monitor the release of grants for a particular Five Year Plan.

Sir, there should be a national perspective plan on decentralised training and capacity building for all Panchayati Raj Institution functionaries with specific objectives like time-frame and resources. The Centre should assist the States in upgradation of training centres and extension training centres at the district, block level and below.

Sir, training is all the more required because the hon. Minister told the House the day before yesterday that about 32 lakh representatives are there in the Panchayati Raj system, and out of that, 12 lakh are women. Maybe, the other 12 lakh belong to the weaker sections of the society, like the SCs, STs and OBCs. That means, 50 per cent of the total representatives in the Panchayati Raj Institutions come from backward areas who lack the basic knowledge. So, training is very much required for them. Due to lack of training, they are being exploited. So, training, more particularly to women, should be given. The women are very much interested in serving the villages. But because of their illiteracy, because of lack of knowledge, because of lack of knowledge about records and registers, lack of knowledge about their powers and the powers of the Panchayat Secretary, they are not able to do their duties properly. Sir, it is very essential to give them training, if we want these people to work efficiently. So, training is very important for them. Therefore, I suggest to the hon. Minister that these people should be given a minimum of three months' training immediately after their taking up the position.

Sir, the day before yesterday, an hon. Member mentioned about the importance of Gram Sabha. The Gram Sabha is very important in the Panchayati Raj system. As far as the Gram Sabha is concerned, every issue of a village is placed before it. Sir, I would like to mention before the House an issue concerning Andhra Pradesh. Sir, maybe in the last month, the Andhra Pradesh Government has entered into an MoU with the industry, Jindal Company, which is owned by a Congress leader. This industry is planning to take away a large amount of bauxite from the agency area in Andhra Pradesh. The agreement is against the norms, and against the Supreme Court directions. This exploration will be displacing a large number of tribals and agency areas of Andhra Pradesh. It is also openly discussed in the bauxite belt of our State. I request the Government of India to intervene and save the tribals and the wealth of bauxite, and protect the environment. I quote certain issues from a newspaper published in the leading Telugu daily, Enadu, "Andhra Looti".

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You should not show the newspaper. I have told you in the morning also.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, this is a notification. This is a notified tribal area. In this notified tribal area, it is mandatory to conduct Gram Sabha elections. The bauxite area relates to seven villages. Even in one village, Gram Sabha election is not conducted. Without the approval of

Gram Sabha, they have given those areas officially to the company. This is in violation of the norms and against the rules of the Supreme Court judgment. I would like to bring this fact to the hon. Minister's attention that it is mandatory for everyone concerned to conduct Gram Sabha elections and then take approval from the Gram Sabha.

Sir, nextly, I would like to raise the issue of additional wage employment scheme in rural areas and food security. In the Budget, the amount allocated under the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana should be increased to at least Rs. 5000 crores from the present Rs. 3000 crores. Because, the amount for providing employment is not adequate if we take into account the widespread prevailing unemployment especially in the rural areas.

Even after fifty-eight years of Independence, the condition of many villages is pitiable. Sir, the hon. Minister may be aware that many districts in Andhra Pradesh are facing drought, continuously for the last five to six years. Hence, the farmers in these regions have totally become helpless and are living in very miserable conditions.

Due to consecutive droughts, hundreds of farmers have committed suicide in the last few years. Why are they committing suicides? As the hon. Minister is kindly aware, the specific reason is, they receive loans and they could not repay the loan back to the banks due to poor climatic conditions, recurring droughts and some other farming problems. When they are not able to repay the loan to the banks due to the above mentioned reasons, they are deprived of getting fresh loans. Under such circumstances, they are forced to approach private money-lenders who take advantage of their pitiable position and helplessness. They charge a hefty amount of interest from the farmers which ultimately lead them into the debt trap. I would, therefore, suggest that banks should make the loan terms and conditions simple so as to enable the farmers to get the loans without any difficulty. Farmers are also keeping away from banks due to the stringent formalities. Hence, there is dire need to make the laws suitable and conducive to the farmers.

In regard to providing sanitation facilities in the rural areas under the Rural Sanitation Campaign, the Government has allocated an amount of Rs. 720 crores for 2006-07 for the construction of 2 lakh toilets. Sir, I think, this is not an adequate amount by any standards. I would request the hon. Minister to enhance the subsidy amount for this purpose. Sir, moreover, the

performance of Rural Sanitation Campaign in some villages is also not satisfactory.

The Government had identified around 15 lakh houses to be constructed in the country under the Bharat Nirman Programme. The allocation for this scheme is to be increased to take up more and more construction of houses, especially in Andhra Pradesh. Sir, in regard to providing drinking water, 56,270 habitations and 1,40,000 schools are expected to be covered. The Government is to levy 10 per cent tax. I would request the hon. Minister to decrease this to at least 5 per cent. The Government should also adopt strategies to tackle by including conservation, better operational management, and water quality monitoring at the village level.

Sir, recently, some schemes have been merged into the National Rural Employment Guarantee Scheme to provide 100 days of work. The total allocation for rural employment under this scheme is Rs.14,300 crore. I would request the hon. Minister to ensure that this scheme is implemented effectively by increasing the number of days to at least 150. The amount to meet the current situation is inadequate and this amount is not sufficient to meet the actual demands of our rural employment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Only five minutes more. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party's time is seven minutes and you have already taken 20 minutes. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): But 20 extremely constructive! ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister has intervened. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VANGA GEETHA: Thank you, Sir.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is an important subject, therefore, everybody wants to contribute.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, many rural industries are facing financial crunches. Rural artisans have not been provided the necessary

support through the existing schemes. The Government should give top priority to revive the village industries by providing sufficient employment. The Government should empower the SCs, STs and OBCs through reservation and send the money directly to local bodies. This would definitely improve the standards of life in rural areas.

The work under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is to be made fast in future and the allocation should be increased more. There should also be regular monitoring about the implementation of such schemes. I suggest the hon. Minister that the roads, which need to be upgraded, and which are incomplete should also be included in this scheme without any loss of time because the rural roads, which are constructed, are never maintained properly. The present Government has done precious little to improve the life rural people.

Finally, Sir, I would like to submit to the hon. Minister of Rural Development I am very happy to say that you have sanctioned many schemes for under the SCs and STs Rojgar Yojana. You have sanctioned many schemes for rural development. But after the completion of the training period, there is lack of coordination in marketing. The women are facing so many problems. In my own district, the then Rural Development Minister, Mr. Venkaiah Naidu had sanctioned Rs.25 crores for a project for fashion designing technology in which 13,000 women are getting training or have completed their training. They are well trained, but due to lack of coordination between the officials and the fashion designing authorities, they are facing so many problems. They are not able to go to other cities like Bangalore, Bombay, Vizag, etc. They are not able to talk to the middle people. I would like to request the hon. Minister to keep this in mind and assist these *rojgaris* in getting better employment and money. Sir, finally, I would like to conclude with some suggestions on Panchayati Raj. Again I come to my subject. Sir, the hon. Minister has conducted many roundtable conferences on Panchayati Raj. I would like to know from the hon. Minister about the outcome of these conferences, and whether the Government is going to bring any comprehensive Bill in this regard for further strengthening the Panchayati Raj activities. Thank you very much, Sir, for allowing me to speak on this important subject by allotting me more time to me. Thank you.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विषय में, कुछ अहम मुद्दे मेरे मन

में हैं, जिनकी सैद्धांतिक चर्चा, मैं आपके सामने करना चाहता हूं। महोदय, हम पिछले पचास वर्षों से ग्रामीण विकास की चर्चा कर रहे हैं। हमारी यह सोच थी कि भारत का ग्रामीण विकास भी उस स्तर पर आ जाएगा, जहां हर हाथ को रोजगार होगा, हर व्यक्ति को दो जून का भोजन प्राप्त होगा, सिर पर छत होगी और बीमारी के लिए कोई न कोई सुविधा होगी। पिछले पचास वर्षों मे हमारी उपलब्धि क्या रही है? हम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन लगातार शहरों की ओर होता चला जा रहा है, शहरों और गांवो मे आर्थिक विषमता बढ़ती चली जा रही है, गरीबी और अधिक बढ़ती चली जा रही है, मैं इसकी चर्चा भी करूंगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास का विचार करते समय हमारे सामने एक मूल प्रश्न आता है और मेरे ध्यान में जो पहला मुद्दा आता है, वह है गरीबी की परिभाषा। हम किसको गरीब कहें, इसका अभी तक कोई सर्वसम्मत सिद्धांत तय नहीं हो पाया है। भारत सरकार और योजना आयोग, दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि किसी व्यक्ति को इस परिमाण में कैलोरीज मिल जाएं, यदि इससे कम किसी को कलोरीज मिलेगी, तो उसे गरीब कहा जाएगा। हम इसे गरीबी की रेखा कहेंगे या भुखमरी की रेखा कहेंगे? मैं माननीय मंत्री महोदय से निश्चित रूप से यह बात कहना चाहता हूं कि वे इस पर निश्चित रूप से विचार करें। गरीबी एक आर्थिक स्थिति है, भूख एक भौतिक स्थिति है और अगर भयंकर आर्थिक स्थिति हो जाए तो भुखमरी पैदा होती है। केवल भोजन की व्यवस्था का विचार करके, कैलोरीज का विचार करके, गरीबी की रेखा को परिभाषित करना, किसी भी दृष्टि से उचित नही है, ऐसा मुझे लगता है। हम गरीबी की रेखा को कम कर रहे हैं। उसे छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने तो भुखमरी रेखा को ही गरीबी की रेखा मान लिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय, से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे, क्या यह गरीबी घट रही है? 1973 में यह कहा गया था कि जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे है और .81 परसेंट गरीबी प्रतिवर्ष घट रही है। आंकड़ो में, प्रगति में, चर्चा में,दृष्टिकोण और सदन मे भी यह चर्चा है। आर्थिक वृद्धि दर लगभग पांच प्रतिशत हो रही है, उनके डाक्युमेंट्स में कहा गया है कि .81 परसेंट गरीबी घट रही है, जो कि ग्रामीण विकास का एक प्रमुख अंग है। यह कहा गया है कि केवल कैलोरी के मापदंड के आधार पर, 26 प्रतिशत गरीबी घट गई है। क्या प्रोटीन, वसा, खनिज, लोहा और विटामिन्स, शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते? मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे कि केवल गरीबी की रेखा का विचार, भोजन की कैलोरी के साथ निर्धारित न करके, जो मनुष्य के भोजन के लिए आवश्यक बातें हैं, उन पर भी विचार करे। मैंने कहा है कि जैसे भोजन की चर्चा की गई है, उसी प्रकार कपड़ा, स्वच्छता, पेयजल, आवास और शिक्षा के समान अवसर, यदि इन सब पर विचार नहीं करोगे तो कौन गरीब है, इसकी परिभाषा क्या है, न इसका विचार होगा, न वह गरीबी दूर होने की कोशिश होगी और न ही ग्रामीण विकास होगा।

उपसभापति महोदय, इस काम के लिए वर्तमान सरकार नया आयाम लाई है, 'ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' और यह इस वर्ष से चालू की गई है। इस पर चर्चा भी बहुत की गई है। गरीबी को मिटाने की दृष्टि से और रोजगार देने की दृष्टि से इसे एक विशालस्वप्न बताने की कोशिश की गई है। एक वर्ष में 100 दिन रोजगार, 60 रुपए प्रतिदिन यानी 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप आंशिक बेरोजगारी को कैट्रोल कर

रहे हैं या बेरोजगारी को कंट्रोल कर रहे हैं? 6,000 रुपए प्रति साल में तो पूरे परिवार को भोजन ही नहीं मिलेगा। यहां 100 दिन काम देने की चर्चा की गई है, अगर 90 दिन भी आप काम दे पाएंगे, तो 5,400 रुपए चाहिए। अगर 365 दिनों में से 100 दिन काम मिल गया, तो उसका क्या बनेगा? यह कोई नयी योजना नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, जवाहर रोजगार योजना, आश्वासित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना - इन सब योजनाओं को आपने समाप्त कर दिया और एक पैकेज बनाकर इसकी घोषणा कर दी और आज यहां इस पर चर्चा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के लिए 57,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। आप इस योजना को 142 जिलों में प्रचारित करना चाहते हैं, one third of the population को इसमें cover करना चाहते हैं, तब भी इसके लिए 19,000 करोड़ रुपए चाहिए। कुल ग्रामीण विकास के लिए बजट में 31,443 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें जल संरक्षण भी है, जल संवर्धन भी है, सिंचाई भी है, नहरों की मरम्मत भी है, भूमि विकास भी है, बाढ़ नियंत्रण के कार्य भी हैं, पारंपरिक जल-स्रोतों का पुनर्नवीकरण भी है, कितना पैसा निकाल पाएंगे आप इससे? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह calculate करें कि under different heads, वे इस योजना में कितना पैसा दे पाएंगे, इस बात की जरूर चिंता करें।

महोदय, एक ओर ग्रामीण रोजगार योजना की चर्चा करते हुए कहा गया है कि ऐसे कार्य करवाएं जो कार्य स्थायी हो। माननीय मंत्री महोदय, आप कृपा करके देखिए कि इसमें केवल 40 प्रतिशत राशि सामान के लिए रखी गई है और 60 प्रतिशत राशि रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए रखी गई है। आप रोजगार देना चाहते हैं, यह बात सच है, किन्तु क्या 40 प्रतिशत पैसे से किसी स्थायी काम का निर्माण हो सकता है? मेरा निवेदन है कि हमने राज्य सरकारों के स्तर पर experiment करके देखा है कि यह संभव नहीं है। इसलिए आप इस पर पुनर्विचार करिए। आप इसमें स्थायी काम करवाने का उद्देश्य रखना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। मैं तो ऐसे प्रदेश से आता हूं, जहां रेगिस्तान बहुत है, सड़कों के लिए मिट्टी डालते हैं, मिट्टी उड़ जाती है, काम वहीं का वहीं रह जाता है। आपका उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अगर आपने ratio नहीं बढ़ाया, तो स्थायी कामों को करने के लिए यह पैसा पर्याप्त नहीं होगा। यह योजना अभी तक पूरे देश में लागू भी नहीं हुई है। आज जो कृषि का बढ़ता हुआ कॉमर्शियलाईजेशन है, गांवों में घटते हुए कुटीर उद्योग हैं, सिकुड़ती हुई आजीविका के साधन हैं, इसके फलस्वरूप जो ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में पुनर्भावित करिए, सोचिए, विचारिए, दायरा बढ़ाइए और लोगों को इसके अंदर लाने की कृपा करिए।

उपसभापति जी, मैं एक और विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो ग्रामीण विकास की दृष्टि से आवश्यक है। अभी-अभी चर्चा की गई थी आवासों की। क्या दे रहे हैं आप? मैं राजस्थान में देखता हूं कि पिछले इतने वर्षों में जहां मकान बने हैं, वहां कोई रहने नहीं जाता है। हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, ये बताएंगे कि इंदिरा आवास योजनाओं के मकान जहां बने हैं, वहां कौन जाता है? क्या बनाया है आपने, उसमें न्यूनतम गृह मानक तक नहीं है, कोई मकान रहने की स्थिति में नहीं होगा। न्यूनतम गृह मानक क्या होगा? मेरी दृष्टि से न्यूनतम गृह मानक का अर्थ है - दो छोटे-छोटे शयनकक्ष, एक रसोईघर, बंद शौचालय, प्रकाश की व्यवस्था, गंदे पानी का निकास। अगर आप ये सब चीजें बनाकर नहीं देंगे, तो इंदिरा आवास के मकानों का कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में 64 प्रतिशत स्थानों पर

न्यूनतम गृह मानक की दृष्टि से इनका अभाव है। मुझे तो लगता है कि वर्ष 2020 तक भी इस योजना के आधार पर लोगों को छत मुहैया कराने में आप सफल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने उत्तर में कृपया इस बात को बताने की कृपा करें कि आवास की दृष्टि से आपने जो बात कही है, उसमें आप क्या कर पाएंगे?

महोदय, मैं ग्रामीण विकास की दृष्टि से पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक व्यक्ति के लिए 50 लीटर पानी आवश्यक बताया गया है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण में भी 37.7 प्रतिशत घरों में केवल 15 मिनट शुद्ध पानी आता है, उसकी व्यवस्था है। उन्हें 8 लीटर पानी मिल रहा है। यह मूलभूत आवश्यकता है। हम शहर वाले तो सब बात कर लेंगे, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति क्या करेंगे? मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ, जहाँ लवणीयता बहुत है, फ्लोराइड बहुत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर राजस्थान का कोई भाग ऐसा नहीं है, जहाँ पानी की दृष्टि से समस्या विद्यमान नहीं है, जहाँ स्वच्छ पेय जल उपलब्ध है। यह बात सच है कि डिसैलाइनेशन और डिफ्लोराइडाइजेशन की प्रक्रियाएँ आ गई हैं, किन्तु इसके लिए थोड़ा-सा, किंचित भी बजट उपलब्ध नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पानी कैसे उपलब्ध कराएंगे?

महोदय, राजस्थान में मरुक्षेत्र की भी विशेष समस्या है। तीन दशक पूर्व डीडीपी और डीएपी चालू किए गए थे। किन्तु क्या प्रावधान किया गया है? यह सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, मरुभूमि है, आधे से अधिक रेगिस्तानी इलाका है। इसे क्यों नहीं एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए? क्यों नहीं इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति करने के लिए, इन आयामों को बनाने के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है?

महोदय, मैं जानता हूँ कि दो स्पीकर्स और हैं, जो इस बात पर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन मैं केवल एक-दो बात की चर्चा करके अपनी बात को खत्म करूँगा। ग्रामीण विकास के लिए हमने अपने लिए कई मॉडल्स लिए हैं। हमने चीन का कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल लिया, रूस का सोशलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल, अमेरिका का ट्रिकल थ्योरी मॉडल, हमने सभी को प्रारम्भ करके अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है। अगर यह इस देश की जमीन से जुड़ा नहीं होगा, जब तक रोजगार, ग्रामीण उत्पादों और मूल्य संवर्द्धित वस्तुओं के विक्रय की ठीक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ग्रामीण विकास एक वर्ग वृद्धि के रूप में रह जाएगा।

महोदय, मैं, अन्त में, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना चल रही है। यह बहुत अच्छी चल रही है, जहाँ से यह चालू हुई थी, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। किन्तु अगर गाँवों का विकास करना है, तो केवल उस गाँव के मुख्य केन्द्र तक सड़क पहुँच जाए, यह काफी नहीं है। गाँव ढाणियों में बसता है, गाँव पहाड़ियों के क्षेत्रों पर बसता है। उसका रेवेन्यू सर्किल बहुत बड़ा है। अगर उसकी व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ये तो धमनियाँ हैं, सड़कें तो विकास की धमनियाँ हैं, इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्धारण करते समय या तो गाँवों को जोड़ने की बात कीजिए, उनकी ढाणियाँ क्या हैं, उनके मजबे क्या हैं, वे कितनी-कितनी दूर हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं राजस्थान के ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ 60 हजार स्क्वायर मीटर में एक गाँव बसा हुआ है। आप केवल उसके नॉर्दर्न प्वाइंट पर सड़क दे देंगे, तो क्या आप ग्रामीण विकास कर लेंगे? मैंने केवल कुछ

बातें सैद्धांतिक रूप में आपके सामने रखी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप अपना जवाब दें, तो कृपया इन बातों पर जवाब देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश) : डिप्टी चेयरमैन सर, आपने थर्ड टाइम राज्य सभा में प्रवेश किया है, इसके लिए मैं आपको मुबारकवाद देता हूँ।

सर, ग्राम पंचायती, रूरल डेवलपमेंट के बारे में अभी हमारे इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को प्रकट किया है। पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के बारे में, जब इस डिमांड के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी को हम दोबारा याद करते हैं, क्योंकि सरपंच का हमारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में सरपंच का बहुत इम्पार्टेंट रोल है। एक जमाना था कि ग्राम के डेवलपमेंट के लिए सरपंच के पास कोई साधन नहीं होता था। उन्हें वहां के विधायक के ऊपर, लोक सभा के मेंबर या कलैक्टर या मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन राजीव गांधी जी का ही यह एक सपना था कि हमारे 75 परसेंट रूरल एरिया में, विलेजेज में रहने वाले लोगों के लिए सरपंच के पास एक बुनियादी ढांचा हो। उस इलाके की तरक्की के लिए, वहां के डवलपमेंट के लिए किसी के ऊपर निर्भर न रहते हुए राजीव जी संविधान के अंतर्गत एक पंचायती राज का ऐसा बिल लाए जिस में किसी की मेहरबानी पर न रहते हुए, आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें जो फंड मिलना चाहिए, वह फंड डायरेक्ट दिल्ली से जाने की व्यवस्था की गयी। आज यह जो पंचायती राज का सिस्टम है, इसके लिए लोग उन्हें बराबर याद करते हैं। यह राजीव गांधी का एक तारीखी मिशन था कि उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिए काफी कुछ किया।

सर, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा कि पॉलिटिक्स में आने से पहले आप का लोकल बॉडीज में तजुर्बा रहना चाहिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि लोगों का जैसे आई0टी0आई0 करने के बाद डायरेक्ट पॉलिटिक्स के अंदर रिक्रूटमेंट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा लोकल बॉडीज के काम करने से उन्हें वहां के हालात में, वहां के आवाम की जितनी तकलीफें हैं, वहां के लोगों के लिए जो कार्यक्रम लिए जाने हैं, उन सब की एक ट्रेनिंग होता है।

सर, मणि शंकर साहब एक काबिल मिनिस्टर हैं और राजीव जी ने पंचायती राज का एक बुनियादी ढांचा बनाया, लेकिन इस पंचायती राज के अंदर फोर टायर सिस्टम है। इस में एक सरपंच है, दूसरा मंडल प्रेसीडेंट है, तीसरा जेड0पी0टी0सी0 मेंबर है और चौथा एम0पी0टी0सी0 मेंबर है। उन के पास काफी सुविधा रहती है, लेकिन काम करने के लिए गुंजाइश नहीं रहती। मैं आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने वहां पांच बार लोक सभा मेंबर की हैसियत से काम किया है उन लोगों का प्रैक्टीकल अनुभव है। और कई बार हमारे मंत्री महोदय के पास भी उन का रिप्रजेंटेशन गया है कि वहां एम0पी0टी0सी0 के मेंबर का काम बराए नाम है। इस बारे में कई बार रिप्रजेंटेशन किया गया है, लेकिन मालूम नहीं, इस में कोई टैक्नीकल बात है। दूसरे स्टेट्स से भी कई बार इस संबंध में सुझाव आए हैं। सर, हमारे भारत के अंदर 64 कैंटोनमेंट्स हैं। वहां नगरपालिका सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं समझता हूं डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर 6-7 साल से एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है कि महिलाओं के रिप्रजेंटेशन की सुविधा हो। जैसे कि पंचायत के अंदर, म्युनिसिपैल्टी के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर महिलाओं का रिजर्वेशन होता है, लेकिन यह सिस्टम यहां पर नहीं है। पंचायती राज के अंदर

महिलाओं के रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, वह वहां अमल में नहीं आ रहा है क्योंकि वह क्षेत्र डिफेंस के अंदर आता है। ऐसे 64 कैंटोनमेंट एरियाज हैं, जहां महिलाओं का काफी नुकसान हो रहा है। उन के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात हमेशा होती है, लेकिन कौन इस का विरोध कर रहे हैं या कौन समर्थन कर रहे हैं, यह भगवान जाने। लोग अंदर कुछ बोलते हैं और बाहर आने के बाद कुछ और होता है। तो ये तमाम चीजें हैं। मेरा माननीय मंत्री मणि शंकर साहब से यह कहना है कि नगरपालिका के अंदर जो 64 कैंटोनमेंट्स हैं, वहां महिलाओं के लिए यह सुविधा नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस बारे में बिल प्रणब मुखर्जी साहब लाएंगे या यह कार्य आप के जरिए होगा? यह एक टैक्नीकल पॉइंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन को भी यह सुविधा होनी चाहिए। सर, मैं समझता हूँ कि यू0पी0ए0 सरकार बनने के बाद तारीख के अन्दर यह फर्स्ट टाइम है कि हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, हमारे भारत के प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह ने एक ऐसा नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट लाया है, आज दुनिया में जितने भी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी सिस्टम हैं, कहीं भी अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर किसी को 100 डेज़ काम नहीं मिला, तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

सर, आपको भी शायद रेन फॉल के बारे में मालूम होगा, जैसा हमारे आंध्र प्रदेश का तजुर्बा है, वहाँ मुसलसल तीन साल से बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। किसानों को अपना गुजारा करने के लिए दूसरी स्टेट्स में, दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। कई किसानों को तनाम परेशानियाँ हुईं। मैं समझता हूँ कि यू0पी0ए0 सरकार ने, सोनिया गांधी के चेयरपर्सन बनने के बाद हमारे प्रधान मंत्री ने यह आज फर्स्ट टाइम रूरल एरियाज़ के किसानों को डेफिनेटली एक इम्प्लायमेंट गारंटी वेजेज़ देने का जो प्रस्ताव लाये, यह बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसी हालत में काफी किसानों द्वारा आत्महत्या हो सकती है, खुदकुशी हो सकती है। वे गुजारा करने के लिए अपनी जायदाद को किसी साहूकार के पास गिरवी रखते या और कोई दूसरा काम करते। मैं इसके लिए सोनिया गांधी जी और प्रधान मंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ।

दूसरी बात यह है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में भारत निर्माण के बारे में बताया। आज गाँवों के अन्दर, रिमोट एरियाज़ के अन्दर, तालुका के अन्दर सड़कें बहुत खराब हैं। वहाँ आज भी, आजादी मिलने के इतने दिनों बाद भी बहुत-से इलाके ऐसे हैं, जहाँ भारत निर्माण योजना में काफी सड़कों का कंस्ट्रक्शन करना है। और विलेज़ का डेवलपमेंट करना है । मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है।

सर, हम एस0सी0 और एस0टी0 के लिए मकानात बनाते हैं। बहुत-सी स्कीम्स हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना है। राज्य सरकारें भी बनाती हैं और यहाँ भी काफी मकानात के कंस्ट्रक्शन करने का ढाँचा है, सिस्टम है। सर, माफ करना, अगर आप एस0सी0/एस0टी0 के मकानात देखेंगे तो यह पाएँगे कि कहीं उनके विंडोज़ ठीक नहीं रहते, कहीं दरवाजे ठीक नहीं रहते और कहीं उसकी हाईट भी 9 फीट के बजाए 8 फीट ही रहती है। रूम का साईज़ तो 10 X 10 होना ही चाहिए, लेकिन वह भी 8 X 8 ही होता है। इसमें न तो मियाँ-बीवी सो सकते हैं और न ही लड़का-लड़की सो सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। अगर फर्ज करें कि हम किसी मकान के बनाने में 25 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आज की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो सीमेंट है, स्टील है और इसे तामीर कराने में बहुत-से

एक्सपेंडिचर होते हैं, वे काफी बढ़ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी बढ़ाइए, क्योंकि लोग जिन्दगी में एक ही बार घर बनाते हैं। ऐसा बड़े लोग भी कहते हैं। आज बड़े लोगों की शरमायत है यानी समाज के अन्दर ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास 10 घर भी हैं और 12 घर भी हैं। लोग करोड़ों रुपयों में बड़े-बड़े मकान बनाकर उसमें रह रहे हैं। लेकिन आज भी एक गरीब आदमी, एक अनुसूचित जाति का आदमी, एक किसान उसी एक झोंपड़े में गुजारा करता है। लेकिन हमारी सरकार का, भारत सरकार का और वहाँ की राज्य सरकारों का भी यह फर्ज होना चाहिए कि इन मेजोरिटी लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। आज कोई सरकार बनाने के लिए, चाहे वह कोई भी पार्टी की सरकार हो, उसमें उन्हीं का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है, उन्हीं की बहुमत होती है, उन्हीं की वोट से सरकारें बनती हैं।

सर, एक बात और यह है कि एस0सी0 और एस0टी0 की कॉलोनीज़ बनाते हैं। उसके बाद उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, ड्रेनेज़ की सहूलियत नहीं रहती, साइड ड्रेन नहीं रहती है और बोर वेल भी नहीं रहती। इस तरह ये तमाम सहूलियतें इन-कम्प्लीट हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप मकान का एस्टिमेट बनाते हैं, उस वक्त ड्रेनेज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियतें भी होनी चाहिए। उसके बाद रोड्स की भी सहूलियत होनी चाहिए। वह तभी तो उसमें गुजारा कर सकता है। आप मकान जरूर बनाते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें रहने की सहूलियत नहीं रहती है। इस तरह इन शेड्युल्ड कास्ट और शेड्युल्ड ट्राइब्ज के लोगों की कॉलोनी के अंदर यह तमाम दुर्गति है।

उपसभापति महोदय, दूसरा मेरा कहना यह है कि कुछ ऐसे एरियाज है, जैसे यह नलगुंडा जिला है या तेलंगाना के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां हमारे रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर सिंह साहब बैठे हैं और हमारे नरेन्द्र साहब भी उसी एरिया से आते हैं, वहां की पीने के पानी की स्थिति को जानते होंगे, कि वहां पर ऐसा हो रहा है कि लोगों के दांत जल्दी चले जाते हैं, पूरा शरीर लंगड़ा हुआ जा रहा है, बहुत जल्दी वहां के लोगों में बुढ़ापा आ जाता है। रघुवंश प्रसाद सिंह जी को इस बारे में मालूम है। मैंने इस बारे में कई बार स्पेशल मेंशन भी किए हैं। यह बड़ा इम्पोर्टेंट मसला हैं कि वहां के लोगों को साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, जो लोग वहां रूरल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए प्रोटेक्टेड वाटर होना चाहिए। इसके लिए आपके पास काफी धनराशि है। उस ओर आप ध्यान दें।

महोदय, हमारे समाज के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, यह चार चीजें हर आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी आने के इतने साल बाद भी काफी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। लोगों को इस गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार का, विधायकों का और हम तमाम लोगों का कर्त्तव्य बनता है। इन तमाम चीजों को पूरा करने की जिम्मेदारी हरेक सरकार के ऊपर रहती है और हमारे हरेक आदमी का कर्त्तव्य भी बनता है कि इसमें मदद करे। आज हमारे रूरल एरियाज में स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि रूरल एरियाज में डॉक्टरों की कमी रहती है, जहां आप कुछ डॉक्टर भेजते भी हैं, तो वहां पर वे लोग रहते नहीं हैं और वे ताल्लुका, जिला हैडक्वार्टर में रहते हैं। आज भी वहां गरीब आदमी के स्वास्थ्य के ट्रीटमेंट करने का वही पुराना तरीका है, वे आरएमपी डॉक्टर के पास जाते हैं। मुझे परसों इत्तिफाक से एक नगरपालिका के चुनाव के सिलसिले में कैम्पनिंग करने के लिए वहां जाने का मौका मिला। जाते-जाते रास्ते में मैं वहां एक पत्थर से फिसल कर गिर गया। इमीडिएटली एक आरएमपी डॉक्टर ने आकर ट्रीटमेंट किया। मैंने उससे पूछा कि क्या आप एमबीबीएस डॉक्टर

हैं? तो वह बोला कि नहीं साहब, मैं आरएमपी डॉक्टर हूँ। तो वहां लोग मुझसे बोलते हैं कि आपको आज पता चल रहा है, मगर यहां जो लोग इस गांव के अंदर रहने वाले हैं, उनके लिए कोई एमबीबीएस डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, ज्यादातर ऐसे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हरेक आदमी के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा की पूरी सुविधा होनी चाहिए। समाज के अंदर बड़े लोगों के तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, खुद के डॉक्टर रहते हैं, वे लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो सरकारी अस्पताल में ही जाता है। इन गरीब लागों के लिए, गांव के लोगों के लिए वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हमें इन तमाम चीजों पर गौर करना है।

महोदय, जैसा अभी हमारे राजस्थान के मित्र चतुर्वेदी जी ने कहा, वहां पर इन्दिरा आवास योजना में कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में बोला। मैं यहां लोक सभा में ग्राम योजना पर उठे सवाल के संबंध में अखबार में जो कल आया था, कहना चाहूंगा कि रूरल डवलपमेंट की स्कीम जो चल रही है, मैं राज्य का नाम लेकर बोलना चाहता हूँ, गुजरात में, इस अखबार में यह आया है कि उस स्टेट में हजारों लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लेकिन उनको 60/-रुपए देने के बजाय 18/-, 20/-रुपए देने जा रहे हैं। यह इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट 60/-रुपए का है, लेकिन वहां पर शोषण हो रहा है। यह होना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी की भी सरकार हो, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। जब भारत सरकार का एक नियम बनता है, कानून बनता है और उस एक्ट में यह लाया गया है, तो उसका रेट मिलना चाहिए।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): अखबार में दिया है, इसको पहले अथेंटिकेट करना चाहिए। इसको पहले वेरिफाइ करना चाहिए, फिर उसके बाद आलोचना करनी चाहिए।

श्री नंदी येल्लैया : सर, यह लोक सभा में आया है। मंत्री जी यहां बैठे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : उसको मत दिखाइए।

श्री नंदी येल्लैया : सर, मैं सुनी-सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ।

श्री कलराज मिश्र : इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले वेरिफाइ करिए।

श्री नंदी येल्लैया : सर, मैंने पहले बोला कि चाहे वह किसी की सरकार हो।

श्री उपसभापति : येल्लैया जी, आप अखबार का नाम बताएं।...**(व्यवधान)**...

श्री नंदी येल्लैया : सर, मजदूर तो मजदूर है, उसे पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। वह तो अपनी रोटी चाहता है और इसलिए मैं यह बोल रहा हूँ। उसे पार्टी से ताल्लुक नहीं है। यह कल का अखबार "जागरण" है, आप पढ़िए। मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लेकिन आज भी ऐसे गरीबों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट के बनने के बाद भी यदि इंसाफ नहीं हुआ तो चाहे कोई भी सरकार हो, उसको इसका जायजा लेना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से गुज़ारिश करुंगा कि यह हकीकत है या नहीं, इसकी जांच की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, श्री कलराज मिश्र जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाया है कि अखबार की खबरों के आधार पर सदन में कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, अगर वे अथेंटिकेटेड न हों।

श्री उपसभापति : अखबार की खबरों को यहां बहुत से मैम्बर्स क्वोट करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री नंदी येल्लैया : मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आरोप नहीं है, आप तो हकीकत पूछने के लिए कह रहे हैं।

श्री नंदी येल्लैया : वहां पर घोषित मजदूरी 60 रुपए है, लेकिन मिलते उन्हें 18 या 20 रुपए हैं, तो यह जो अन्याय हो रहा है, इसको सही करने के लिए मैं बोल रहा हूं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं।

श्री उपसभापति : श्री अवनि राय।

श्री अवनि राय (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदय, आज संसद में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री मौजूद हैं और पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि खास तौर से ग्रामीण विकास को लेकर सरकार बार-बार बहुत सारी योजनाएं ला चुकी है, लेकिन उन पर अमल जिस ढंग से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और इस कारण कहीं न कहीं इसमें रुकावट हो रही है। भले ही वह इंदिरा आवास योजना हो, ग्राम सड़क योजना हो, जवाहर रोजगार योजना हो, काम के बदले अनाज योजना हो, कोई भी योजना हो, इन योजनाओं का ठीक ढंग से रूपायन नहीं हुआ और रूपायन न होने के कारण गांव के आदमी को गांव से बाहर जाकर काम ढूंढना पड़ रहा है, आज यह हकीकत है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि केवल विकास-विकास कहने से या चिल्लाने से विकास नहीं होगा, भले ही हम उसके लिए 60 हजार करोड़ रुपए दें या 600 हजार करोड़ रुपए दें। अगर हमारी परिकल्पनाएं या योजनाएं सही ढंग की नहीं होंगी, तो हम जो गांव के विकास की बात करते हैं, वह नहीं हो सकेगा। हमें विकास का एक दायरा बनाना चाहिए, गांव के विकास का एक दायरा बनाना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हम क्या-क्या विकास चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो वहां रोजगार चाहिए, इसके साथ ही साथ वहां शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, रहन-सहन की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वहां दवाखाने या अस्पताल होने चाहिए और इन सबका प्रबंध अगर हम वहां नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। शहरी विकास की हमें चिंता नहीं है। हमारे शहरों में सब कुछ है और वहां बिजली से लेकर कहीं भी कुछ अव्यवस्था होती है तो हम लोकल म्युनिसिपेलिटी के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और जहां दिक्कत होती है, उसको दूर करा लेते हैं। लेकिन गांवों की और विशेषकर दूर-दराज के गांवों की, जहां आना-जाना भी बहुत मुश्किल बात है, जहां के लोगों को राज्य सरकार या भारत सरकार क्या-क्या नई परिकल्पनाएं ला रही है, क्या-क्या प्लानिंग कर रही है, क्या-क्या योजनाएं बना रही है और उन योजनाओं को कार्यान्वित कैसे किया जाना है, इसकी भी पूरी जानकारी नहीं होती है, उनकी ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा, उनकी हमें चिंता करनी होगी। ऐसी स्थिति में गांवों के

विकास के लिए खाली परिकल्पना करने या पैसा देने से ही काम नहीं बनेगा, बल्कि काम तब बनेगा जब हम उस पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे या उन योजनाओं पर सही ढंग से अमल करेंगे और सही ढंग से योजनाओं पर अमल या पैसे का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। इसी के साथ-साथ जुड़ी हुई एक और चीज है - पंचायती राज। जिस पंचायत के माध्यम से हम काम कर सकते हैं, उस पंचायत को भी हमें पूरा पैसा देना होगा और जो भी वहां के काम हों, उन कामों को राजनीति से ऊपर उठकर करना होगा। अगर जो सुविधाएं हम जनता को देना चाहते हैं, वे सुविधाएं जनता को नहीं दे पाएंगे, जो पैसा यहां से गया उसका ठीक ढंग से हिसाब नहीं रख पाएंगे, अगर वहां जमीन का सही ढंग से वितरण नहीं कर पाएंगे, अनाज का सही ढंग से वितरण नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में हमारी योजनाएं सफल नहीं हो सकेंगी। इसलिए ये दोनों विभाग यदि एक दूसरे के साथ सही ढंग से काम करें, सुविधाओं को ठीक ढंग से पहुंचाने की बात करें, तभी कुछ हो सकता है, वरना चाहे यह सरकार हो या कोई भी सरकार हो, वह चाहे कितनी ही योजनाएं बना ले, गांवों का विकास नहीं हो सकता। पिछले 56 सालों से हमने गांवों के विकास की कई योजनाएं हाथ में लीं, लेकिन इसके बावजूद आज भी स्थिति यह है कि गांव से आदमी बाहर जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं और कई तो भारत छोड़कर भी जा रहे हैं। इसलिए हमारे इन दोनों विभागों को गांवों में जाकर वहां की दिक्कतों को देखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहीं से सब हो। मान लीजिए कि 50,000 ट्यूबवैल लगाने हैं और उन 50,000 ट्यूबवैल के लिए हमने यहां से टेंडर कर दिए, तो वे कहां लगानें हैं, कहां नहीं लगाने हैं, कहां कितने ट्यूबवैल जरूरी हैं, किसी गांव में 14 लगा दिए, किसी गांव में एक भी नहीं लगा, ये सब परेशानियां आएंगी। तो इन सारी बातों को ढंग से देखना होगा। अगर इनको हम ढंग से नहीं करेंगे तो चाहे जो भी हम योजना बना ले, संसद के सामने रखें, उसका प्रचार तो हो सकता है कि फलां सरकार ने यह किया, लेकिन वह योजना सफल नहीं हो पाएगी। जब रोज़गार गारंटी की बात आई, सरकार इसे अमल में लाई यह बहुत अच्छी बात है। कम से कम रोज़गार की गारंटी तो मिली, भले ही सौ दिन की हो। इसमें भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिन्हें हमें देखना होगा, क्योंकि सौ दिन के रोज़गार से तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी सौ दिन के रोज़गार की गारंटी जो सरकार ने दी है, वह अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ कुछ चीज़ों को हमने खत्म भी कर दिया है, पहले एक योजना थी, "काम के बदले अनाज", वह योजना आज नहीं है। "काम के बदले अनाज" योजना पर हमने 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे और रोज़गार गारंटी योजना के आने के बाद हमने 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए। इस प्रकार सच तो यह है कि इस नई परिकल्पना के लिए हमने 30,000 करोड़ रुपये ही दिए हैं। इस प्रकार हमने एक परिकल्पना खत्म की तो दूसरी शुरू कर दी।

अब हमें देखना यह होगा कि रोज़गार गारंटी देने के बाद गांव से कोई पलायन न करे, वह दूसरी जगह न जाए, लेकिन 100 दिन की गारंटी रहने पर 265 दिन के लिए तो उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको यह भी देखना होगा कि किस गांव के अन्दर हमें कितने व्यक्तियों को काम देना चाहिए। इसके लिए एक लिस्ट होनी चाहिए, उनके परिवार की भी एक लिस्ट होनी चाहिए, उसके बाद यह देखना होगा कि इस लिस्ट के अनुसार उन्हें काम ठीक ढंग से मिल जाए। इस योजना पर अगर ठीक ढंग से अमल नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर तो एक ही परिवार के अन्दर उन्हें 100 दिन की जगह 200 दिन का रोज़गार प्राप्त हो गया और दूसरी जगह उसी गांव के अन्दर कोई परिवार ऐसा रह गया, जिसे

3.00 P.M.

एक दिन का भी रोज़गार नहीं मिला। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए इसके लिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से देखना होगा।

दूसरी बात यह है कि गांव के विकास के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, जिनमें पहला है जमीन का सुधार या लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो गांव में जिनके पास जमीन है और जो वहीं पर काम करते हैं, उसी जगह पर हम उन्हें यह सौ दिन के रोज़गार की गारंटी नहीं दे पाएंगे, तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सौ दिन की गारंटी तो हमने उन्हें दी और सौ दिन की गारंटी हम उन्हे उनके गांव में ही दें, ताकि जहां उनकी जमीन है, वहीं पर वे काम करें। इसके साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स, उनकी जमीन की बात भी की जाए तो वहां पर बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके पश्चात् बाकी जो 165 दिन बच जाते हैं, इनमें भी अगर वहां पर हम ऐग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगवा सकें ताकि उन्हें उनके गांव के अन्दर ही काम मिले तो फिर इसके लिए उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा करने पर हम उन्हें 365 दिन का रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बाद उनके रहने की सुविधा के लिए जो स्थान हम उन्हें दे रहे हैं, उसे भी देखना चाहिए क्योंकि कहीं पर ग्राम सड़क योजना है तो कहीं पर इंदिरा आवास योजना है। इनके लिए कई प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन इत्यादि की गलतियां भी हैं, उनमें भी सुधार किया जाना चाहिए। जब हम उन्हें इस प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं तो यही सोचें कि हम यह इन्सानों के रहने के लिए दे रहे हैं। उसके कमरे ऐसे हों, जिनमें उनका परिवार ठीक ढंग से रह सके, उसमें रसोई भी हो, साथ ही अन्य चीजों के लिए भी जितनी जगह होनी चाहिए, उसका उचित प्रबंध हो। इसके लिए हम जो रुपया देते हैं, उसमें यह भी देखें कि आज के ज़माने में ईंट, रेता, सीमेंट इत्यादि खरीदने के बाद उनका घर बनना आज बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इस ओर भी आप ध्यान दें। इसके लिए जैसे-जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं, उनको दी जाने वाली रकम को भी बढ़ाते रहना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें जो जगह दी जा रही है, उसे भी बढ़ाया जाए।

इसके साथ ही साथ, गांवों के अन्दर अन्य समस्याएं भी हैं, खास तौर पर पीने के पानी की समस्या है। हमारे हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। हमने यह तो कह दिया कि हम हर गांव के अन्दर बिजली देंगे, लेकिन मेरा ख़याल है कि गांवों के अन्दर बिजली देने से पहले पीने का पानी दिया जाए। पीने का पानी उपलब्ध कराने के बाद दूसरे नम्बर पर उनके स्वास्थ्य की ओर लक्ष्य किया जाए। स्वास्थ्य के बाद उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाए। बिजली तो कभी न कभी चली जाएगी, बिजली देने से उनके गांव का उतना विकास नहीं हो पाएगा, इसके लिए जो पांच जरूरी चीजें हैं, सबसे पहले उनकी ओर ध्यान दिया जाए। इन योजनाओं पर ठीक ढंग से अमल करवाने के लिए पंचायत का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। पंचायतों द्वारा इन सुविधाओं के दिए जाने को राजनैतिक मत-भेद के रूप में इस्तेमाल न किया जाए या इनको राजनैतिक रंग देने की कोशिश न की जाए, साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि वहां पर करप्शन न फैलने पाए। धन को किस तरह से खर्च किया जाना है, यदि इसकी सही तौर पर मोनिटरिंग नहीं की जाएगी, तब भी मुसीबत ही पैदा होगी। यहां से पैसा तो गया लेकिन उसे खर्च नहीं किया गया अथवा वह किसी एक के पास चला गया, इस तरह से भी हमने विकास के लिए जो पैसा भेजा, उसका खर्च ठीक से नही हो

पाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक कार्य है कि हमारी ओर से इन चीज़ों को उचित रूप से डिक्टेट करके टीवी अथवा दूसरे माध्यमों से इसका प्रचार करें। लेकिन उसमें सरकार की उदारता का प्रचार हो सकता है। लेकिन गांव के विकास के लिए जो हम चाहते हैं, पंचायत राज को बनाने के लिए जो हम चाहते हैं, ये दोनों ही नहीं हो पाएंगे- और पंचायत राज्य के लिए यदि हम कहें तो अभी भी हमारे भारत में बहुत जगहें हैं, जहां पंचायत के चुनाव भी ठीक ढंग से नहीं होते हैं। उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और पंचायत का काम कैसे होना है, उनका क्या काम है इसके बारे में भी उनको शिक्षित किया जाए, नहीं तो जो हमने यहां से पंचायत राज की परिकल्पना की है, उस पर हम ठीक से अमल नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों माननीय मंत्रियों से दरख्वास्त करूंगा कि ग्रामीण विकास के लिए लैंड रिफॉर्म के ऊपर जोर दिया जाए, ग्रामीण विकास के लिए वहां एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्री के ऊपर जोर दिया जाए और साथ ही साथ जो हम गारंटी दे रहे हैं, इसके साथ गांव के असली विकास के लिए जिन चार-पांच चीजों की जरूरत है, उनको भी उपलब्ध कराया जाए। सड़कें, बिजली भले ही दो साल बाद हो, हमें नुकसान नहीं है, लेकिन जनता की सेवा के लिए, गांवों के लोगों को सब कुछ मिलने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। पंचायत को ठीक ढंग से चलाया जाए, पंचायत के ऊपर नजर रखी जाए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो गांवों का विकास शायद जो हम 50 सालों में नहीं कर पाए, अगर ध्यान से करें तो अगले 10 सालों के अंदर हम इसको अवश्य कर पाएंगे, इससे गांवों का विकास जरूर होगा। यही आशा रखते हुए, मंत्री महोदय से अगर यह आश्वासन मिले कि वे प्रयास करेंगे, तो शायद जो विकास हम चाहते हैं, यह विकास होने वाला है। धन्यवाद।

DR. P.C. ALEXANDER (Maharashtra): Thank you, Mr. Deputy Chairman. At the outset, I would like to avail of this opportunity to stress the very crucial importance the subject of rural development has assumed in our scheme of development at this stage in our country. From the point of view of national importance, if we are to place the Ministries in order of importance, I am inclined to say that the Rural Development Ministry should come right at the top. The Prime Minister has introduced a new scheme by which the Secretaries in charge of the Ministries of Defence and Home Affairs have been given two years' fixed term. Here again, I would like to say that if there should be any one Secretary, besides the Cabinet Secretary, who should have a minimum two years' term of service, it should be the Secretary in the Ministry of Rural Development. The nation is used to the concept of rural development right from the time of independence, in the form of programmes like community development, special attention to rural industries like *khadi* and village industries, handicrafts, handlooms, etc. However we have not adequately understood the crucial importance this subject has acquired in recent times, particularly after the Government's decision to formulate the concept of Bharat Nirman. There is nothing new in Bharat Nirman. Irrigation, rural roads, rural housing, rural electrification, rural telephone connectivity - these are all concepts in the development of

infrastructure in rural areas and have been tried in different stages by people who were incharge of rural development. There is nothing new about them, but, for the first time, infrastructure development, relevant to the rural development programmes, has been given the focus and attention, and the fact that Rs.1,74,000 crores are to be spent for these programmes during the next 4 years under the overall umbrella of Bharat Nirman has lifted the whole subject of rural development to the niche of importance which it deserves. Having made these preliminary remarks, I will refer to some of the most pressing problems that those in charge of the administration have to take care of, if we are to achieve the objectives before us.

The first lesson that one has to learn from the experience of the implementation of the rural development programmes during the last five decades of our independence is that rural India is not a homogenous concept. We all talk about rural India but we forget that rural India means an agglomeration of large number of groups of villages each having its own separate problems though they may all share the general problem of under-development. The most important factor that has to be borne in mind is that amongst the 6.23 lakhs of villages recognized as villages in our country, 4.31 lakhs are villages with population less than thousand people each. This is a phenomenon that is very special to our country's development programmes and process. The overwhelming majority of villages or those areas which are classified under the name villages, 4,31,949, have population below thousand each, and, therefore, are not in a position to sustain some of the programmes that we are visualising under the Rural Development Programme. If we go by the general approach, that what is good for certain areas, which are called rural areas is good for all the rural areas in the country, we will be continuing the mistake that we have committed during the last fifty years. Take any subject relevant to rural development; education, health, delivery, unemployment etc. and we will find that these programmes cannot be successfully implemented for very simple reason that they do not have the population base required to sustain them.

When there are less than 500 people living in a village, we cannot afford to have a primary school with four or five teachers, or, a Primary Health Centre. Even if we try this experiment, Doctors who are appointed there will not go; teachers who are posted there will refuse to go, and, all sorts of difficulties will come up in practical implementation. Therefore, what is important, and, this is what I want to suggest before the two distinguished Ministers in charge of Rural Development in our country today,

is that you separate the small villages with population below one thousand and devise special programmes which are practicable there. We may have to think of mobile hospitals, peripatetic doctors who may visit these places periodically; there you may think of even training a *Vaidya* or practitioner of indigenous medicine whom we may not consider to be a Doctor, to be trained in modern health delivery system and then giving him the allowances which will induce him to stay. There we may think of recruiting a person from the village itself and giving him special training to handle all the classes in a primary school so that he will not think of going away to some other place. You have to think of the problems of the small villages and deal with them differently from those of people in larger villages.

I know of a 'village' in Maharastra, called Akluj. It is still called a village but if you go to that village, you will think that you are in another corner of Pune or Mumbai City. I could see even a modern swimming pools in this village. If you apply the programmes which are relevant for Akluj to some other village, which has only a small population base, you will find that the programme in the latter village will fail and more advanced among the villages will get the benefit. What is intended for the sparrows should not be allowed to be eaten away by the crows.

The second point I would like to make in this connection is that there cannot be a programme for rural development which is equally applicable to the tribal population. The tribal population has its own problems which can be handled or tackled only by a tribal-specific approach. If we go to villages where tribal population is a predominant society, you will find them being deprived of traditional occupation and without having access to new avenues of occupation. They are denied the fruits of forests; they are denied the source of livelihood because the tribals generally are not familiar with modern cultivation. Nor are they skilled to undertake anything else yet. Therefore, at least, in the transition stage, we have to think of an area-specific and community-specific programme in certain rural areas. We have to give them some exemption from the very strict rules and regulations of the Department of Environment by which they are not allowed to live anywhere near the forests. At least in a transitional period, till we are able to train them for ordinary avocations in life, we have to give them some degree of exemption from the rules of using the products of forests for their livelihood otherwise rural development for these people will remain irrelevant to their needs and situation.

The third point I wish to bring to your notice is that. We should get out of the belief that the Rural Employment Guarantee Programme is going to solve the problem of unemployment in the rural areas. No doubt most of the beneficiaries of these programmes will be people in the rural areas. But the Rural Employment Guarantee Programme cannot be a substitute for rural development programme it cannot be a solution to the problem of poverty in the rural areas. It will be a mistake to think that the Rural Employment Guarantee Programme is implemented efficiently and speedily, solution to relieving the poverty from the rural areas.

Hundred days of employment to one person in a family of 8-10 members and that too at a wage which is not even the minimum wage fixed under the Act are not going to help the members of a poor family to transfer themselves from the status of below the poverty line citizens to cross the poverty line citizens. Therefore, let us not treat the Rural Employment Guarantee Programme as a solution to rural development. We can develop rural areas on the basis of the Rural Development Programme, on the basis of Bharat Nirman components, on the basis of the traditional approach, new schools, new hospitals, new roads, new connectivity to the neighbouring market, new information system, and such other matters.

Finally, Sir, I would like to invite special attention to the crucial importance of education as the main instrument of rural development. It may not have much of an appeal to those who are in charge of implementing rural development programmes. But if we neglect education as the number one priority in the list of programmes to be implemented under the heading 'Rural Development,' we will end up in grief as we have already done in the past. When I speak of education, it is not just imparting knowledge in certain subjects like arithmatics, history or geography or acquiring skills in arithmetic or reading and writing. I am referring to motivation that is needed in the rural areas, motivation for people to lift themselves up, enabling them to avail of all the ladders that are being thrown to them. This can come only through education. The primacy of education in rural development programmes should not be forgotten by the Ministers concerned; otherwise, we will be committing a great mistake. In this connection, I will only mention the crucial importance of education in the true sense of the term, to fight against certain forces which are acting against all our Government-sponsored programmes. I am referring to superstition, ignorance and all sorts of prejudices born out of caste, sex and other such inhibiting factors which still prevail for want of education in many

places. We have to create the right motivation by using education as a tool, to fight against these great evils which are crippling the effectiveness of our programmes. We are spending thousands and thousands of crores of rupees and are going to spend many more thousands in the next three or four years. But if we do not educate the people about what is keeping them down and, then, we will not achieve the benefits of the programmes. So, the highest importance has to be given to imparting right type of education to change the mindset of the people, to enable them to take the maximum advantage of the development programmes.

With these words, I wish to once again stress the crucial importance of the two programmes which are being implemented by the Panchayati Raj and Rural Development ministries and request that they carry the entire nation with them in a heralding this revolutionary movement. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Suryakantbhai Acharya.

श्री सूर्यकान्तभाई आचार्य (गुजरात) : माननीय उपसभापति जी, मैं पंचायत और रूरल डेवलपमेंट के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखूंगा। पंचायत हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। वैदिक काल से हमारे यहां पंचायतें हैं। वैदिक काल में समिति और सभा के रूप में उनका गठन हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान पर तुर्की आक्रमण हुआ और गुलामी आई। उसके कारण हमारा जो पुराना सामाजिक ढांचा था, उसको क्षति पहुंची और उसमें कई बुराइयां आ गईं। अब फिर से हम पंचायतों को सक्षम बनाना चाहते हैं और यह सबसे अच्छी बात है कि पंचायत के द्वारा ही ग्राम का विकास हो, पंचायत के द्वारा ही ग्राम की सलामती हो और प्रगति हो।

महोदय, यहां प्रोग्रेस की कई बातें हुईं, मगर जो गांव है, वहां प्लानिंग होती है। Our planning is from Delhi to *dehaat* and not from *dehaat* to Delhi. I will suggest it and I have suggested it when I was the Deputy Chairman of the Gujarat Planning Commission. मैंने सेंट्रल प्लानिंग कमीशन को भी ये बातें लिखकर भेजी हैं। इसलिए प्लानिंग देहात में होनी चाहिए कि देहात के लोगों को खबर है कि हमको रास्ता चाहिए या स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए या कोई दूसरी चीज़ चाहिए। उनके पास कोई चीज़ नहीं है, इससे उनको पता चलता है। हम तो क्या करते हैं कि कोई हॉस्पिटल बनाओ कहता है, तो हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई चाहता है कि स्कूल बनाओ तो स्कूल बना देते हैं। इसके लिए हमने "गोकुल ग्रामीण योजना" के नाम से एक योजना बनाई थी गुजरात में। वह योजना बहुत अच्छी चली थी। हर गांव के लिए हमने पैसे दिए और हर गांव के लिए कोई न कोई विकास का काम, गांवों में चला। This is not a substantial development. आज भी जो अपनी डेवलपमेंट होती है, वह सबस्टेंशियल में होती है। हर साल, हर बजट में हम देहातों को ऊपर लाने की बात करते हैं, मगर दूसरे वर्ष में भी यही करते हैं और तीसरे वर्ष में भी यही करते हैं। कुल टोटल हमने उसमें कितना रुपया खर्च किया, यह निकालोगे तो पता चलेगा कि हमने काफी रुपए गंवाए

हैं? इसलिए मैं कहूंगा कि sustainable growth, sustainable development, इन पर विचार करना चाहिए। आज तो यह है कि इंडस्ट्रीज में माल बनता है और यह माल बिकने के लिए देहात में चला जाता है, तो यह कैसे चलेगा? देहात में उत्पादन हो और यह वहां उत्पादित होकर ऊपर जाए, क्या हम ऐसा कुछ अपनी प्लानिंग में कर सकते हैं? Planning, so far as this matter is concerned, is defective. तो हमको प्लानिंग में यह करना पड़ेगा कि देहात को सैंटर में रखकर, वहां पर ही सब चीजें हो सकें। जब मैं आयोजन पंथ का उपाध्यक्ष था तो मैं देश के कई बड़े-बड़े लोगों से मिलने गया था। गांधी जी की प्लानिंग, जयप्रकाश जी की प्लानिंग और लोहिया जी की प्लानिंग के बारे मे जो विचार हैं, मुझे वे कार्यान्वित करने हैं, तो क्या करें? मुझे इसका संतोषजनक जवाब किसी से भी नहीं मिला, मेरे अधिकारियों से और जो आयोग के अधिकारी हैं, उनके पास से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला और मुझे निराश होना पड़ा। मैंने जो खुद ही बनाया और जो इस पर विचार करके कहा तो मुझे ऐसा लगता है, हम गटर- व्यवस्था तो शहर में करते हैं, देहातों में नहीं करते हैं। यदि देहातों में गटर- व्यवस्था होगी, तो जो सारे गांव के लिए manure चाहिए, वह फ्री मिलेगा। वह हम नहीं कर सके। देहातों में जो फ्री डंग है तो उनसे भी खाद बन सकती है। जब गटर-व्यवस्था होगी तो इससे यह सब इक्ट्ठा होगा। एक बड़ा क्षेत्र और भी है, वह है पशु-धन का अलग व्यापार। क्या होता है कि छेड़ू तै वही पशु रखता है, ऐसा नही है। यह अलग ही है। वे अलग रखेंगे तो उनको वे पालेंगे, पोसेंगे, बेचेंगे और दूध भी देगे। उसके ये सब काम होगे, तो उनसे भी बड़ा फायदा होने वाला है। इससे वहां एक तो इससे इम्पलॉयमेंट का बड़ा साधन निर्मित हो सकता है। हमें अपने देहात को ऐसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए प्लानिंग कमीशन ने पहले दो प्लान्स में एक बात की सोच की थी कि गांव को कितनी एमेनिटीज चाहिए, तो उतनी एमेनिटीज की एक लिस्ट बनाई। वे एमिनिटीज कैसी दी जाएं, इस पर राज्य को विचार करना चाहिए, ऐसा कहा गया। क्या विकास के लिए एमिनिटीज ही सफिशिएंट हैं? विकास के लिए प्रॉडक्शन सफिशिएंट है। इसके लिए यह नारा होना चाहिए, "Either perish or produce"। हम यह नारा लेकर कब चलेंगे, कैसे चलेंगे? मैंने बताया है कि जब प्लानिंग नीचे से ही नहीं होती है तो ऊपर से क्या होगी? इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। आजकल क्या है कि इंडस्ट्रीज हैं, बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, अहमदाबाद में हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई मे हैं, लेकिन देहातों का प्रश्न बहुत बड़ा है। आप सब विद्वान लोग हैं, आप देहातों में रहते भी होगे, आपने देखा भी होगा कि आज हमारे गांव leaderless हो गए हैं, क्योंकि उनमें जो शक्तिशाली आदमी थे, वे तो शहर चले गए हैं, क्योंकि वहां कुछ मिलता ही नहीं है। इसलिए वहां intelligence का drain हो गया है, वे गांव leaderless हो गए हैं, इसके कारण हम जो पंचायत बनाएंगे, वह पंचायत कैसी बनेगी, यह सोचने की बात है। मेरा निवेदन है कि First of all, we should think what type of villages we want and how we can create sustainable growth in the villages. वहां के लोगों को पता है कि इतनी जमीन है, तो उसमें क्या-क्या करना है, यह हो सकता है। उनको पता है कि पानी कहां से लाना है, कैसे रोकना है।

महोदय, मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं, हमारा गुजरात का अनुभव है कि सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, वह 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत ही सफल होता है, इससे ज्यादा सफल नहीं होता है। यहां से बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, पैसे भी जाते हैं, लेकिन no success, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। मेरे ख्याल से तो जो लोग चाहते हैं कि 100 परसेंट ऐसा हो, उन्हीं को passing marks मिलने चाहिए, 90 परसेंट भी नहीं, लेकिन हम तो 35 परसेंट

marks से पास होने की बात करते हैं, इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। हमने गुजरात में क्या किया कि जो भी सरकारी काम हमने हाथ में लिया, उसको people's government बनाएगी, यह तय किया गया। मैं आपको बताता हूं कि कन्याकलावड़ी में हम सबसे पीछे थे, बहुत पीछे थे, वहां हमने क्या किया? आज हम कन्याकलावड़ी में बहुत आगे हैं, इसका कारण यह है कि हमने कन्याकलावड़ी में एक आंदोलन जैसा छेड़ दिया, जैसे देहातों में 10 परसेंट कन्याएं भी स्कूल नहीं जाती हैं, उन्हीं देहातों में कन्याओं को स्कूल छोड़ने जाने के लिए CM खुद जाएंगे, जुलूस निकलेगा, ढोल-ताशे बजाए जाएंगे, अबीर-गुलाल उड़ेगा और ऐसा करके हम उन कन्याओं को स्कूल में दाखिल करते हैं। अगर उन कन्याओं की संख्या 20-25 परसेंट है, तो मिनिस्टर्स जाएंगे, अगर उनकी संख्या इससे ऊपर है, तो MLA और MP जाएंगे, पार्टी के लोग जाएंगे। हमारी पार्टी, सरकार के एक-एक कार्यक्रम को आंदोलन के रूप में परिणत करती है, इसीलिए आज हम सफल हुए हैं। श्री नरेन्द्र मोदी, आपको अच्छे लगें या बुरे लगें, दुनिया भर के लोगों ने उनको गालियां दीं, लेकिन आप देखिए कि अभी तक एक भी इलेक्शन में वे नहीं हारे हैं। लोग उनके साथ क्यों जाते हैं? आज गुजरात में मुस्लिम समाज के लोग भी उनको अपना मत देते हैं और इसका कारण यही है कि whatever he has said, वह उन्होंने कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमने हरेक गांव को बताया है कि आपके गांव में नर्मदा का, पीने का पानी फलां तारीख को आएगा और पानी उसी date पर आता है, we give them dates. इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई imaginative leader चाहिए।

[उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) पीठासीन हुए।]

मैं तो कहता हूं कि यह हमारा अहोभाग्य है कि हमको ऐसा एक बहुत अच्छा लीडर मिला है, जिसने हर चीज को आंदोलन बनाकर, गुजरात के अंदर इतनी अच्छी प्रगति हमको दिखाई है। आज गुजरात में 5 करोड़ गुजराती हैं, वे 5 करोड़ गुजराती उनको चाहते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि पत्नी को यदि कोई पति मारता है, तो उसको सांत्वना देने के लिए पड़ोसी लोग जाते हैं, तो वह पत्नी कहती है कि "मुझे मारता है, तुझे क्या मारता है।" "तू बीच में मत बोल।" इसका मतलब यही है कि हम सौराष्ट्र में यह कहते हैं कि मर्द आदमी को ही सब खोजते हैं। जो मर्द नहीं है, उसके पास कोई नहीं जाता है। हमारा CM एक ऐसा मर्द है, जो अमेरिका को भी ऐसी-तैसी कह सके। आप अमेरिका की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। ठीक है, मैं rural development की भी बात करता हूँ। Rural development ऐसे नहीं होगा। आपको जाना पड़ेगा, there are only two parties - Communist and BJP, जिनके पास कैडर है, जो इस तरह से राज्य के सभी कार्यक्रमों को आन्दोलन बना कर, movement बना कर, उनको सफल कर सके। दूसरी पार्टी में ऐसे लोग ही नहीं है। पूरा कैडर भी नहीं है। पार्टी का भी कोई महत्व है। पार्टी को मत मिलता है। जब पार्टी को मत मिलता है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को देहातों में जाकर इसमें लगना चाहिए। मैं rural development के बारे में भी कहूँगा। Rural development में rural areas का substantial growth हो, जो टिक सके, क्योंकि यह टिकता नहीं है, टिक सके, ऐसा हो। टिक सके, ऐसा नहीं, बल्कि उसमें addition हो सके, ऐसा होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : सूर्यकान्त जी, आप थोड़ा समय का ध्यान रखें। बोलिए।

श्री सूर्यकान्तभाई आचार्य : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सिलवियस कोंडपन (असम) : उपसभाध्यक्ष महोदय, पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर काफी चर्चा हुई कि इस मिनिस्ट्री को कैसे फंक्शन करना है और कैसे हमारे ग्रामीणवासियों को, जैसा सरकार और देश के लोग चाहते हैं, उनको विकास की ओर लाना है, हर दिशा में उनमें सुधार लाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर पंचायत मिनिस्ट्री में यह क्षमता नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं है, तो क्षमता देनी चाहिए। यह मिनिस्ट्री, गाँववासियों की उन्नति के लिए जो-जो विभाग यानी Ministries of Education, Health, Family Welfare, Rural Electrification, Public Health Engineering, ये सब मूल-मूल बातें हैं, जो ग्रामीण लोगों की उन्नति पर उनके कल्याण के विषय में जड़ित हैं। यह सब करने के लिए जो हर साल annual planning होती है, उस planning के समय में पंचायत मिनिस्ट्री को कैसे जोड़ा जाता है और जब इस progress report पर हम हर साल विचार करते हैं, तो पंचायत मिनिस्ट्री को इसके साथ जोड़े जाने के बाद पंचायत मिनिस्ट्री अपनी बात बोलती है या नहीं? कहाँ planning होती है, कहाँ पंचायत मिनिस्ट्री रह जाती है? Rural development के साथ पंचायत मिनिस्ट्री का क्या co-ordination है? इन सब बातों का ध्यान करना चाहिए। यह नहीं हुआ, वह हुआ, बहुत दुर्नीति हो रही है, वगैरह-वगैरह हो रहा है, यह तो सब मानी हुई बात है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से जो administrative arrangement होना चाहिए, जो co-ordination होना चाहिए, वह नहीं है। पंचायत मिनिस्ट्री की सारे देश के गाँववासियों की उन्नति के लिए इनकी जवाबदेही है। लेकिन मेरे ख्याल से इस मिनिस्ट्री को जितनी कुछ क्षमता देनी थी, जितना अधिकार देना था, नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है, तो इसको काम में लागू करना है और इस मिनिस्ट्री की जो स्टेट लेवल में इनकी मिनिस्ट्री है, इसको भी सेंटर से मेसेज जाना है कि पंचायत मिनिस्ट्री और रूरल मिनिस्ट्री, दोनों को खिचड़ी बनाने से पंचायत मिनिस्ट्री का कोई फंक्शन नहीं होता है और सब कोई rural development में पड़ जाते हैं। वहाँ मधुमक्खी होती है, वहाँ खाने-पीने की सब सुविधा हो जाती है। सब एक साथ जुड़ कर गाँववासियों की उन्नति की बात भूल जाते हैं। प्लानिंग और पंचायत मिनिस्ट्री के साथ में स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है या जो करक्शन है, उस को करना जरूरी है। उपसभाध्यक्ष जी, यह सब न होने से मेरे ख्याल से हम लोगों के बीच में अब तक जो चर्चा हुई है, यहां जो इस विषय में हमारे माननीय सदस्यों द्वारा जो आशंका प्रकट की गयी है, दुख प्रकट किया गया है या चिंता प्रकट की गयी है, वह कोई काम में नहीं आ पाती है। मैं यहां इसी बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि पंचायती राज मिनिस्ट्री का इन के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। सर, यहां बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है, वे रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री को ही पहचानते हैं। यहां पंचायत एंड रूरल डवलपमेंट को मिलाकर एक मिनिस्ट्री बना दिया है, पर उस में एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट तो अभी तक नहीं हुआ है। सेंट्रल मिनिस्ट्री में क्या हुआ है, मैं नहीं जानता, लेकिन स्टेट लेवल पर पंचायत व रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री को एक साथ "क्लब" कर दिया है। उसे एक ही मंत्री, एक ही सेक्रेटरी देखते हैं। तो ग्राउंड लेवल पर यह बात स्टेट लेवल गवर्नमेंट के पास नहीं आती है और इस के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सही पता नहीं चलता है कि वहां कैसा प्रशासन होना चाहिए या पंचायतें क्या देखेंगी? सर, पंचायत का जो ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिस है, उस में दुनियाभर का भ्रष्टाचार है, वहां दुनियाभर की कम्प्लेंट्स हैं। कौनसा कार्य कौन अधिकारी देख सकता है, किस अधिकारी की एक्शन लेने की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वह

सब कुछ हमें दिखायी नहीं देता है। अगर गांव के लोग कम्प्लेंट करते हैं तो crying in the wilderness होता है, अरण्यरोदन होता है। सर, यह सब जो डिस्कसन हुआ है, मैं सोचता हूं कि उस में इस बात की चिंता हमें करनी होगी। अगर रूरल डवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्रीज का फंक्शन ठीक नहीं होगा तो नीचे के लेवल पर दुर्गति की जो बात चल रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट का सपना है, वह पूरा नहीं होगा । हम चाहते हैं कि गांव के लोग सही ढंग से ऊपर आने चाहिए, लेकिन आज वहां हॉस्पीटल में जाइए और देखिए कि आप जब हॉस्पीटल बनाते हैं, उस में मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ एंड फेमिली वैल्फेयर का पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ क्या संपर्क है? क्या वह प्लानिंग के साथ हुआ है? उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि गांव में अस्पताल है, लेकिन नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, गांव में स्कूल है, लेकिन मास्टर नहीं है। अब थोड़ा सा रूरल डवलपमेंट के नाम से रास्ता या घाट बन रहा है। उस में भी बहुत कुछ शिकायतें हैं। उन सब शिकायतों को इस मिनिस्ट्री को दूर करना होगा। हमें देखना होगा कि ग्राउंड लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करनी है। उसे सेंटर से लेकर स्टेट लेवल तक ध्यान में रखना है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज गांव में बिजली नहीं है। रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन के नाम से यह बात चलती है। यह देखना चाहिए कि पंचायती राज मिनिस्ट्री या रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री से कभी पावर मिनिस्ट्री के पास शिकायत तो नहीं जा रही है कि वहां रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन का काम ठीक से नहीं हो रहा है। आप हमारे साथ कुछ कोऑर्डिनेशन करो। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास शिकायत है। मेरे विचार से पंचायती राज मिनिस्ट्री और स्टेट लेवल की पंचायती राज मिनिस्ट्री के "स्पोक्स पर्सन" गांव के लोगों के लिए हॉस्पीटल, स्कूल, पावर व रास्ता वगैरह के लिए होने चाहिए। यह देखना होगा कि कौन सा रास्ता कहां लेना होगा, फिशरीज डवलपमेंट की स्कीम के बारे में देखना होगा। वहां बहुत से लोग फिशरीज स्कीम के ऊपर अपना जीवन बिताते हैं। उन के पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। वे मार्जिनल फॉर्मर्स से भी नीचे हैं। वे लोग लैंडलेस नहीं हैं, लेकिन मार्जिनल फार्मर्स हैं।

मार्जिनल फार्मर्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए कुछ स्कीमें हैं, जिनके पास खेती-बाड़ी के लिए जमीन नहीं है। एक फिशरी स्कीम है। फिशरी को बढ़ावा देने की यह स्कीम भी पंचायत और रूरल डेवलपमेंट में आती है। मुझे मालूम है कि मैं जब अपने स्टेट में एक समय फिशरी डिपार्टमेंट का मंत्री था, तो उस मंत्री पद से देख रहा था कि गाँव के लोगों को फिशरी स्कीम से अपने लिए कम-से-कम सुबह-शाम का खाना जरूर जुटे और वे लोग भूख से न मरें। हम लोग इसी स्कीम को बढ़ा रहे थे। लेकिन मैं देखता था कि पंचायत के साथ उस फिशरी डिपार्टमेंट का कोई डिपार्टमेंटल रिलेशन नहीं है। पंचायत के ऊपर से फिशरी डिपार्टमेंट में जाकर कोई प्रभावित नहीं करता है कि तुम यह फिशरी स्कीम को देखो। मैं एक सिंगल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। दूसरी भी कई स्कीम्स हैं, जैसे- हैंडलूम-टेक्सटाइल-की, वीविंग की, जो गाँव के लोगों को अपना रोजी-रोटी का जुगाड़ करने के लिए काम करने का रास्ता देती हैं। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का पंचायती राज के मिनिस्ट्री के साथ डाऊन टू द ब्लॉक लेवेल इफेक्टिव को-ऑर्डिनेशन नही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, दोनों मंत्रियों का ध्यानाकर्षण कर रहा हूँ कि ये लोग अपनी मिनिस्ट्रीज़ के फंक्शन को और इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने जो विनम्र सुझाव बताये हैं, उनको ध्यान में रख कर कार्रवाई करेंगे तो कुछ-न-कुछ कामयाबी जरूर मिलेगी।

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी। अभी सदन में श्री मंगनी लाल मंडेल जी द्वारा पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यकरण के संदर्भ में प्रारंभ की गई बहुत ही उपयोगी चर्चा चल रही है। यह कार्यकरण और कैसे सशक्त हो, इस विषय में बड़ी उपयोगी चर्चा हुई है और बड़े उपयोगी सुझाव भी आए हैं।

महोदय, मैं भी इसी चर्चा को कुछ आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक ग्रामीण विकास की बात कहें, तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगी क्योंकि उसने अपने इस वर्ष के बजट में सबसे अधिक प्राथमिकता ग्रामीण विकास को दी है। इसलिए पूरे बजट की लगभग 54 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए रखी गई है। यह सरकार बधाई की पात्र है, क्योंकि इसका ध्यान गाँवों की ओर है। सरकार ने यह महसूस किया है कि जैसा महात्मा गाँधी ने कहा था कि असली भारत गाँवों में बसता है और जब तक इस देश के गाँव, ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण जन हर दृष्टि से सशक्त नहीं होंगे, ग्रामीण क्षेत्र हर तरह के साधन सुविधा से सम्पन्न नहीं बनेंगे, तब तक यह भारत देश विकासशील से सम्पूर्ण विकसित देश नहीं बन सकता। सरकार ने इस आवश्यकता को अनुभव किया है और उस पर ध्यान भी दिया है। भारत निर्माण एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं यह कहूँगी कि उसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, सड़क, पानी, बिजली, टेलिफोन, मकान, पर्यावरण, सिंचाई, कृषि एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर जो ध्यान दिया गया है और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएँ लाई गई हैं, मैं उसका स्वागत करती हूँ।

महोदय, मुझसे पूर्व जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी ही विशेष बात कही कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय, ये दो ऐसे महकमें हैं, जो कि एक-दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। यदि देखा जाए तो इनमें चोली-दामन का साथ है। ग्रामीण विकास के बिना पंचायत राज की परिकल्पना नहीं हो सकती। ग्रामीण विकास के लिए ही पंचायती राज की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके लिए स्व0 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को बहुत श्रेय जाता है। मुझे याद है कि वर्षों पहले राजस्थान के बीकानेर में एक पंचायती राज सम्मेलन आयोजित हुआ था, इस बात को 25 वर्ष से अधिक समय हो गया है। राजीव जी के मन में तब से एक इच्छा थी कि महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी कि कैसे गाँवों को राज दिया जाए, गाँव कैसे शक्तिशाली हो, गाँव के प्रभावशाली लोगों की अनुशंसा पर वे किस तरह से स्वयं गाँवों के राज को संचालित करें, उन्होंने उस परिकल्पना को महत्व दिया। उन्होंने इस परिकल्पना को महत्व दिया। राजीव जी ने यह भी अनुभव किया कि कैसे ग्रामों का सबलीकरण हो और इसके लिए उन्होंने जरूरी समझा पंचायती-राज को मजबूत करना। इसके लिए सारा श्रेय उनको जाता है और बाद में यह जो पंचायती-राज सिस्टम लागू हुआ, टू टायर से थ्री टायर सिस्टम, इसके लिए वर्तमान पंचायत राज मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इस पद्धति को विकसित करने का काफी श्रेय उनको जाता है। निश्चित रूप से पंचायत-राज प्रणाली में परिवर्तन कर पंचायतों को सशक्त करने का, पंचायतों को अधिकार-संपन्न बनाने का जो काम हुआ है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं और वहां के लिए बड़ी विकास की योजनाएं बनी हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि इन दोनों मंत्रालयों में एक तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे पर आधारित हैं और तभी ये योजनाएं सफल होंगी। मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगी कि कई बार केन्द्र सरकार की जो अच्छी योजनाएं

होती हैं, चाहे वे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हों या स्वास्थ्य से संबंधित हों, चाहे सरकार की दूसरी घोषणाएं हों कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे स्वास्थ्य के अच्छे केन्द्र बनाए जाएं या शिक्षा के कैसे अच्छे अवसर लोगों को दिए जाएं, ऐसी तमाम योजनाएं और जो ग्रामीण हितकारी योजनाएं किसानों के लिए हैं कि कैसे उनके लिए ऋणों में वृद्धि की गई, जिससे किसानों को अधिक ऋण मिले, उसके ब्याज-दरों में कमी की गई, इन तमाम योजनाओं का लाभ किसान को या ग्रामीण-जन को मिले, इसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा। ये योजनाएं तब तक कागजी रहेंगी, जब तक उनका पूरा लाभ उस ग्रामवासी को या उस किसान को नहीं मिलता, जिसको लाभ देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। मैं चाहूंगी कि सरकार इस पर ध्यान देकर सुनिश्चित करे कि इनका लाभ ऐसे लोगों को मिले। इसके लिए आवश्यक है कि हर जिले में एक अधिकारी, केन्द्रीय अधिकारी ऐसा हो या ऐसी कोई व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे कि केन्द्र और राज्य सरकारों में उस अधिकारी के माध्यम से एक सुदृढ़ तालमेल हो सके। होता यह है कि घोषणाएं होती हैं, लेकिन कई ग्रामवासियों को उनका पता तक नहीं होता। इसलिए कोई कार्यालय ऐसा हो, जो कि इन घोषणाओं के प्रचार-प्रसार का काम करे और साथ ही ग्रामीण-जनों को उन योजनाओं के लाभ कैसे मिले, उसे सुनिश्चित कराने में वह कार्यालय सहयोग भी दे। इसके साथ ही पूरी मोनिटरिंग की जाए कि जिस मद के निमित्त राशि आई है, उसमें काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से ग्रामीण विकास से संबंधित जितनी राशि जाती है, जो उसकी योजनाएं हैं, उनका पूरा लाभ ग्राम वालों को मिले, इसकी मोनिटरिंग की व्यवस्था भी केन्द्र से हो और इसके लिए राज्यों को भी निर्देश हों कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि केन्द्र सरकार जो घोषणाएं करती है और विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं के लिए जो निधि आवंटित करती है, राज्य सरकारों द्वारा अगर वे घोषणाएं किसी भी स्तर पर या कहीं भी की जाएं, तो उसमें केन्द्र का उल्लेख अवश्य होना चाहिए ताकि जनता को यह मालूम हो सके कि आखिर केन्द्र सरकार उनके लिए, गांव वालों के लिए, किसानों के हित के लिए क्या काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी मेरे कुछ मित्र नाराज हो जाते हैं, जब राजीव गांधी जी की हम बात करते हैं, क्योंकि यह सत्य है, इसलिए मैं कहे बिना नहीं रह सकती कि पंचायती-राज में जो महिलाओं का सबलीकरण हुआ है, जो उनको 33 प्रतिशत आरक्षण मिला है, उसके लिए मैं उन्हें याद करना चाहूंगी और जो पंचायतों में हमारी महिलाएं हैं, वे भी तहेदिल से उनको याद करके उनको धन्यवाद देती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें पंचायती-राज में किस प्रकार भागीदारी दी जाए, इसके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम हुआ। अब कई बार लोग बड़े मजाक में हंसते हैं और कहते हैं कि एक नई पोस्ट क्रिएट हुई है सरपंच-पति, प्रधान-पति। महिलाओं के संदर्भ में ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं। मेरा कहना यही है, मैंने विनम्रता से कहा भी है, कि कोई भी मां के पेट से सीखकर नहीं आता है। गांवों की उन महिलाओं को, जो सदियों से पर्दों में थीं, परंपराओं में और रूढ़ियों में जीती रही हैं, आज उन्हें एक अवसर मिला है, उन्होंने पर्दे से निकलकर, घर की दहलीज से बाहर कदम रखकर कहीं अपने आपको पहचानने की कोशिश की है, कि वे भी अपने इलाके के विकास में योगदान देने की कुछ समझ रखती हैं। महोदय, एक बहुत आश्चर्यजनक बात सभी ने पाई कि जैसे-जैसे उन महिलाओं को अनुभव होता गया, जैसे-जैसे उन्होंने काम सीखा, उनमें धीरे-धीरे आत्मविश्वास आया और वे महिलाएं अब बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं। जो एक टर्म काम कर चुकी हैं, उन महिलाओं को अब दोबारा आवश्यकता नहीं होगी किसी बैसाखी के सहारे की, यह मैं दावे के साथ कह सकती हूं। महोदय, श्री राजीव गांधी जी की परिकल्पना भी तब

तक अधूरी है, जब तक यह आरक्षण की व्यवस्था पंचायत और विधान सभा से होकर लोक सभा तक नहीं पहुंचती, तब तक यह कड़ी अधूरी है, सशक्तिकरण का सिलसिला भी अधूरा है और यह परिकल्पना उसी दिन पूरी होगी, जब गांव से चली व्यवस्था यहां तक भी पहुंचे। इस ओर भी इस सरकार का पूरा ध्यान है और मैं समझती हूं कि हमारे सहयोगी दल भी इस विचार को पूरी तवज्जो देंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी पंचायत राज मंत्री जी से कि महिलाओं के लिए, जो नई महिलाएं हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था हो जिससे कि वे अपने काम को अच्छी प्रकार से समझ सकें। महिलाओं में कोई समझ की कमी नहीं, संवेदनशीलता की कमी नहीं और जहां महिलाएं काम करेंगी, वहां भ्रष्टाचार में भी निश्चित रूप से कमी ही आएगी। तो उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपने काम को अच्छी तरह से समझकर कर सकें। महिलाओं के इस आरक्षण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया है, वह यह है कि कन्या के प्रति उनकी सोच में बदलाव आया है और इससे उनके मन में यह बात आई है कि हमारी लड़की भी कुछ बन सकती है। कन्या शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ा है, यह ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की सोच में एक बदलाव आया है और महोदय, इसके बड़े दूरगामी परिणाम सामने आएंगे, कन्या शिक्षा के। आज भी जो कन्या भ्रूण हत्या है, वह शहरों में ही अधिक पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में इस तरह की प्रवृत्ति फिर भी बहुत कम देखने में आती है।

महोदय, जो दो बच्चों वाला नियम है, जिसे कई राज्यों में लागू किया गया है कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा, मैं कहना चाहूंगी कि यह नियम जब से बनाया गया, उसके बाद से इसे लागू किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने अगर इसे लागू नहीं किया है तो इसके पीछे कोई न कोई प्रेक्टिकल प्रॉब्लम जरूर है। महोदय, जब संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने में इससे कोई बाधा आड़े नहीं आती, तो यह व्यवस्था केवल पंचायत के लोगों के लिए ही क्यों लगाई जानी चाहिए? यह व्यवस्था खाली पंचायत के लोगों के लिए ही क्यों होनी चाहिए? वहां लोग अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पीछे हैं, हालांकि अब वे आगे बढ़ रहे हैं और जो महिलाएं भी इस क्षेत्र में बहुत आई हैं, लेकिन उनके ऊपर इससे बड़ी पाबंदी आएगी, बड़ी कठिनाई आएगी। इस लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बड़ा अच्छा काम हो रहा है और गांवों में जो पंचायत राज में आरक्षण हुआ है, उससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, उनको शोषण और उत्पीड़न से भी मुक्ति मिली है और उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है, शिक्षा के लिए बड़ी भारी चेतना आई है। कन्या शिक्षा का और इन तमाम बातों के बड़े अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे। महिलाओं को जितना स्वरोजगार के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, उतना ही अच्छा होगा। यहां ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि केवल खानापूर्ति न हो, बल्कि उनको एक अच्छा शिक्षण दिया जाए ताकि महिलाएं जो नौकरी नहीं कर सकी, उन्हें एक अवसर मिले कि वे स्वावलंबी होकर काम कर सके तथा उन्हें हाथ के और दूसरी तरह के काम सिखाए जाएं, जिन्हें वे कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इन दोनों मंत्रालयों में एक बेहतर तालमेल हो और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जो केन्द्र से निधि दे रहे हैं, उसकी पूरी मानिटरिंग हो। एक तो आप यह सुनिश्चित करें कि योजना का पूरा लाभ उस व्यक्ति को मिले, जिसके लिए वह योजना बनाई

गई है और साथ ही कई लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती है कि क्या-क्या योजनाएं हैं। इस प्रकार आप विभिन्न प्रचार मध्यमों से जनता को यह जानकारी करवाएं कि उन्हें एवं किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं, साथ ही साथ इस बात की व्यवस्था भी की जाए कि इसकी जानकारी उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जिसके लिए वह योजना है। धन्यवाद।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष जी, धन्यवाद।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो-तीन मिनट में ही कुछ सच्चाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पंचायती राज पर बोलना चाहूंगा। पंचायती राज गांधी जी का सपना रहा और प्रभा जी ने यह भी बताया कि यह श्री राजीव गांधी जी की परिकल्पना भी रही है, लेकिन आज सत्य क्या है, माननीय मंत्री जी इसे भी स्वीकार करने का काम करें। गांवों की अच्छी खासी जो आपस के प्यार की जीवन शैली थी, पंचायती राज ने उसे खत्म करके रख दिया है। पंचायतों के लिए आपने जिस प्रकार का बजट दिया है, वह दिया तो ग्रामीण विकास के लिए गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इससे वहां पर सौहार्द के विनाश का काम हो रहा है। मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में भी पंचायती राज के चुनाव हुए, आप स्वयं इस बात की जानकारी हासिल कर लें क्योंकि आप तो भुक्त-भोगी हैं और आप जानते भी हैं कि केवल बाहुबली और धनबली ही चुनाव जीत पाते हैं। निष्पक्ष चुनाव करवाने की आपकी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से पंचायती राज के नाम पर चुनाव करवा कर गांव का जीवन बर्बाद करने का काम किया गया है, और तो और गांवों में आज यह कहावत फैल गई है कि ग्रामीण व्यवस्था में केवल वही जिन्दा रहेगा, वही सम्मानित रह पाएगा, जिसके घर में दस लाठियां होंगी। 'भाई' वाली शैली, जो आज तक मुम्बई में हुआ करती थी, वह आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गई है। अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था को जिन्दा रखना है तो पंचायत के चुनाव मज़बूती एवं निष्पक्षता के साथ करवाने का नियम भी आपको बनाना होगा, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

मान्यवर, जहां पर पंचायतों को पैसा दिया जाता है, अगर उसकी स्क्रीनिंग नहीं होगी तो अगली बार फिर से बाहुबली पैदा होंगे।

इसके बाद रिज़र्वेशन का सवाल आता है - मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप यह पता करवाएं कि इस रिज़र्वेशन के आधार पर कितनी महिलाएं जीत कर पंचायत का काम कर रही हैं, क्योंकि उनका पति बराबर में बैठता है। साथ ही साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि आप इसके लिए न्यूनतम योग्यताएं स्थापित करवाएं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही रिज़र्वेशन का पता लग जाए कि कहां-कहां, किस-किस जिले में, किसके लिए रिज़र्वेशन है, कौन सा ब्लॉक कहां पर रिज़र्व है, कहां के लिए बीडीसी का कौन सा मैम्बर रिज़र्व है। जहां पर भी कोई विरोधी जीत कर आता हुआ दिखाई देता है, वहां पर उस नेता को हैरास करने के लिए किसी महिला का रिज़र्वेशन कर देते हैं अथवा किसी पिछड़े या हरिजन का रिज़र्वेशन कर देते हैं। अगर कहीं हरिजन जीत रहा हो तो सामान्य का रिज़र्वेशन कर देंगे, इस प्रकार से रिज़र्वेशन का मामला भी दोषपूर्ण है। इसलिए आप इसे पहले से ही निर्धारित करने का काम करें। पंचायत के इलेक्शन्स को लेजिस्लेटिव असैम्बली या पार्लियामेंट के इलेक्शन से कम महत्व का नहीं मानना चाहिए। वह हमारे चुनाव की पहली इकाई है, इसलिए माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करवाएं कि पंचायत के चुनाव बहुत ही कड़ाई से निष्पक्ष हों।

4.00 P.M.

मान्यवर, फिर ग्रामीण विकास का मामला आता है। डॉक्टर साहब यहीं पर बैठे हुए हैं, आज गांव के आदमी के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण यह है कि गांव का आदमी आज शहरों की ओर भाग रहा है, कस्बों की ओर भाग रहा है। गांव के आदमी को आज पीने का पानी भी मयस्सर नहीं है, हम कागजों पर ही योजनाएं बना देते हैं। आज आपकी जितनी भी एनजीओज़ हैं, ये एनजीओज़ घुन हैं, इन्होंने इस मुल्क को लूट लिया है। इसलिए सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि आप एक ऐसी सूची प्रकाशित करें कि किस एनजीओ में कौनसे पदाधिकारी, कौनसे सदस्य, किस राजनैतिक अधिकारी अथवा किस ऑफिसर का हाथ है। होता यह है कि या तो किसी एनजीओ के पीछे कोई बड़ा अधिकारी काम करता है अथवा उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका नाती, उसका मैम्बर है, नहीं तो हम लोगों के नाती इत्यादि उसके मैम्बर बन जाते हैं। आज एनजीओज़ पर हम जितना प्रैशर दे रहे हैं, इतना प्रैशर अगर पचायती राज पर दिया जाए तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

यह भी देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन की अथॉरिटी किसी के पास है, सैंक्शन की अथॉरिटी किसी और के पास है, एमाउंट स्पेंडिंग की अथॉरिटी किसी तीसरे के पास है, तभी काम चलता है, नहीं तो गांव का आदमी तो मर जाता है लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि गुंडा उसके कान पर मारता है और कहता है कि तू घर बैठ, शिकायत कहां पर करेगा। इसलिए आप इन एनजीओज़ को खत्म करने का काम करें।

मान्यवर, मैं गांव का आदमी हूं, डॉक्टर साहब आप भी ग्रामीण हैं, इसलिए गांव के लोगों की शिक्षा के लिए मैं आपसे ही अनुरोध करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हम चौथे या पांचवें दर्जे के नागरिक हैं। मेरे गांव के छात्र के चेहरे पर वह रौनक नहीं है जो रौनक आज शहर में पढ़ने वाले बच्चे के फीते पर है, मैं जूते पर भी नहीं कह रहा हूं। आज हालात ये हैं कि जब वह बेचारा पांचवी कक्षा पास करता है, उसके बाद कहीं पर भी उसका दाखिला नहीं हो पाता है, वह बेरोज़गार हो जाता है। रोज़गार देने का काम तो श्री महावीर प्रसाद जी का है, उनके पास गांधी आयोग भी है, खादी कमीशन भी है, कुटीर उद्योग भी है, और कुछ नहीं तो आप इंदिरा जी को ही याद कर लें, उन्होंने ट्राइसेम योजना चलाई थी। मैं उस समय एमएलए था, जब गांव गांव में मशीनें बटीं, महिलाओं ने सिलाई का काम किया, छोटे-छोटे उद्योग लगाए गए। आज मैं दावे और चुनौती के साथ कहता हूं कि खादी आयोग का वह जो कुटीर उद्योग देने का काम था, वह आज नहीं हो पा रहा है। और जितना भी चाहें जब चाहें जांच करा लें, क्यों जांच कराते हो एक-एक आदमी की, आप अपने अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच करा लें। जो अधिकारी वहां से संबंधित रहे हैं, जो उससे जुड़े हुए रहे हैं, उनकी जांच करा लीजिए कि उन्होंने उस पद पर रहते हुए कितनी सम्पत्ति अर्जित की है। तो जो गांव के लोगों को रोजगार मिलने का काम होना था, जो खादी आयोग ग्रांट लेता है, जो सब्सिडी लेता है जिसके पीछे उद्देश्य है कि गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, कुटीर उद्योगों से रोजगार मिलेगा, वह केवल खादी आयोग के और जिले के जो खादी अधिकारी हैं, उनके पेट में चला जाता है और गांव का आदमी ऐसे का ऐसे ही रह जाता है।

मान्यवर, स्वास्थ्य का मामला है, मैं जानना चाहता हूं कि गांव के आदमी का कसूर क्या है? किसी भी एक गांव में अगर पी0एच0सी0 आपकी खुली है, उस पी0एच0सी0 पर एक

भी स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं होगा। बहुत सी माताओं का निधन इस कारण हो जाता है। मैं मानता था कि आदरणीय प्रभा जी बोल रही हैं, तो इस बारे में जरूर कहेंगी। जब गांव की महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं, वे प्रिगनेंट होती हैं और जब तक वे अस्पताल पहुंचती हैं तो जच्चा और बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। उन रास्तों पर चल कर के वह बेचारी मां बनने से वंचित रह जाती है, कितनी बहनों के सुहाग उजड़ जाते हैं, इस बात के कारण कितने लोगों की पत्नी नहीं रही। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य के मामले में भी एक नीति निर्धारित होनी चाहिए। डाक्टर साहब, आप सक्षम हैं, एक नीति बनाइए कि कम से कम एक ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक को इकाई बना लीजिए, एक ऐसा अस्पताल जरूर स्थापित कीजिएगा ब्लॉक मुख्यालय पर या ब्लॉक के किसी बड़े गांव में, जिसमें सारी सुविधाएं हों, एक्सरे भी हो, पैथॉलोजी भी हो, बच्चों का डाक्टर भी हो, माताओं का डाक्टर भी हो, दूसरे काम का भी डाक्टर हो, क्योंकि सारी बीमारी गांव में है। लेकिन गांव को आज पंचायती राज विभाग ने और आपके विभाग ने केवल बीमारी देने का काम किया है, उसको स्वस्थ करने का काम नहीं किया है। मान्यवर, मैंने दो-तीन मिनट का समय मांगा था, आपने मुझे समय दिया इसका मैं आभारी हूं।

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग का बहुत सा बजट प्रचार-प्रसार में चला जाता है। आपके अधिकारी ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं, आपका अधिकारी हर गांव में पंचायत सेक्रेटरी है जिसे आप बी0डी0ओ0 -ग्राम विकास अधिकारी कहने लगे। वह गोष्ठी करके प्रचार-प्रसार क्यों नहीं करता? विज्ञापन दे करके अपने बड़े-बड़े फोटो छपवाकर के वह जो गांव के विकास का बजट है उसमें चला जाता है। यदि उसको रोकने का काम करेंगे और निश्चित रूप से आपकी स्क्रीनिंग रहे, केन्द्र की भागीदारी रहे, हर जिले में आपका कोआर्डिनेटर अधिकारी रहे, जो सारे कार्यों की समीक्षा कर सके, तो यकीनन गांव का कुछ विकास हो सकेगा। जब तक गांव के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता आपको नहीं होगी, तब तक भूमि सुधार के कितने काम भी आप करें, उनका कुछ फायदा नहीं होगा और भूमि सुधार के कार्य न होकर एक कपाट के मामले में मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कपाट और खादी आयोग, जितने एन0जी0ओज0 हैं, उनकी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। मुझे पता लगा कि यू0पी0 में ही एक क्षेत्रिय अधिकारी के ट्रांसफर के लिए एक बड़े नेता के परिवार के लोग भिड़ गए, डाक्टर साहब ने बड़ा विरोध किया, ये अपने हालत के दूसरे लोग हैं। तो मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए उन लोगों को जो एन0जी0ओज0 के नाम पर करोड़ों रुपए डकारे हैं, उनका नाम प्रकाशित करना चाहिए, ऐसा मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है। धन्यवाद।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka): Sir, I rise to speak on the working of the Ministry of Rural Development and Panchayati Raj. In respect of the Ministries of Rural Development, I will concentrate only on a few subjects such as, employment in rural areas, drinking water, Total Sanitation Progamme, SGSRY, Self Help Groups and development of wasteland.

Sir, in respect of the Ministry of Panchayati Raj, I will speak a little bit of the working of panchayats.

Sir, the Ministry of Rural Development is very important, because 70 per cent of our population live in villages, in rural areas, and they are agriculturists and produce agriculture-related products. So, it is very sad that the people in rural areas, the farmers, are depending only on the seasonal rainfall. Due to lack of planned irrigation and scanty rainfall, farmer has to suffer. And, there has been drought in the last four to five years. Many people had borrowed loans from banks, cooperative societies and moneylenders. As they could not repay the loans that they had taken, they had to commit suicide because there was no other source of income for them. Also, there was no other opportunity in the rural areas where they can generate money.

Rural youth, usually, migrate to cities in search of jobs. They make urban areas congested and the cities are chocked. Sir, it is very important that we give urban facilities in the rural areas, like, good educational institutions, hospitals, good marketing facilities and agro-based industries, which generate employment opportunities, and where the youth of the villages get employment in the rural areas, where they can generate money and can repay the money that they have taken. Our charismatic and esteemed leader, Shrimati Sonia Gandhi, and the Prime Minister understood this phenomenon and brought a historic legislation, that is, the Rural Employment Guarantee Act to provide employment to the youths for 100 days in a calendar year. The dream has come true, for which the rural India is indebted to Soniaji and the hon. Prime Minister. The Minister of Rural Development also deserves congratulations for playing its role in this regard. Initially, this Act is extended to 200 districts. Later on, it will be taken up in all the districts of the country. At the same time, the Government has to be cautious in implementing the Rural Employment Guarantee Act. People, in rural areas, should not depend only on this "100 days' work". Other rural employment generation programmes, like, promoting village industries, agro-based industries, poultries, rearing livestock, piggery, beekeeping, etc. should also continue. These days, growing good flowers is also profitable because there is increase in export of flowers. Apart from this, the Ministry has to work for providing transportation and good marketing facilities to encourage the village industries.

The Ministry has launched Total Sanitation Campaign for the accelerated sanitation coverage in rural areas. As per the 2001 Census, 10.8 crore households in rural areas were without toilets. They attend the

nature call in the open. This is directly affecting the women and the girls. They have to wait up to the sunset to go out. It is very dangerous because, in the dark, they may have snakebite or scorpio bite. Sometimes, it is also dangerous for the girls as they may be molested or raped. So, I request the hon. Minister to see that every household in the rural areas should have toilet facilities. And, it should be taken up on priority basis. Sir, I had been to Ahmedabad yesterday. There, I saw the Total Sanitation Programme. They were giving training to the professionals, students, health workers and NGOs about this scheme. They have a very beautiful building. They call it *safai vidyalaya*. So, they have a very beautiful building where they impart this training. Many people from different parts of the country, from different parts of the State go there and take the training. I would like to request the hon. Minister to see that such centres are opened in all the States so that they need not go all the way to Ahmedabad to have training.

Sir, drinking water is another important subject. The Minister of Rural Development is looking after that. The Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission provides drinking water and sanitation in rural areas. Now, the groundwater level is going down. The tube wells are also drying up. People suffer due to lack of water. At so many places, the women have to walk 2-3 kilometres to fetch water. Lady has to suffer again. She has to see that her children go to school by 8 o' clock in the morning, and husband goes to work. She has to cook the food; she has to bathe her children and wash their clothes. For this, she requires water. When there is no water, she has to suffer. Without water, no work can be done. Not only the human beings, even birds, animals and plants need water, which is very important. Hence, the Government has brought this Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission where 90 per cent of the money is put by the Centre and 10 per cent by the State or the Panchayats. Water crisis is very severe not only in drought prone areas like deserts of Rajasthan, certain parts of Gujarat, and other places, but, Sir, even my home State Karnataka also has to suffer without water. In my home State water is contaminated by salinity in Bijapur, Belgaum, Raichur, Bellary and Dharwad, by fluoride in Tumkur, Kolar, Bangalore, Gulbarga, and by heavy metals in Bhadravati. So, I request the hon. Minister to install treatment plants and testing laboratories in all the places so that the people get good water to drink.

Then, I come to the implementation of the *Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana*. Here, self-help groups are doing very well. Ladies have formed many groups where banks are giving loans to them and women are doing an excellent job, and they earn Rs. 800 to Rs. 1000. But I request the hon. Ministers to speak to the Finance Minister and reduce the interest rate. The interest rate charged by them is high and these ladies are requesting that it should be reduced. I hope the Minister will look into it and get the interest rate cut down. Sir, though these self-help groups have formed hundreds of groups in different parts of the country, and most of the women of Southern States also produce so many products, but they do not have marketing facilities. So, even if they have to have their products exhibited, they have to book a hall or a *chaultry* or community centres, but they have to pay a heavy rent. I would request the hon. Minister to inform the Government buildings, Government halls to give halls free of cost so that it will help these ladies to exhibit their produce.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI KALRAJ MISHRA) : Please conclude now.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I will conclude after making one or two points. They also need marketing facilities. I hope the hon. Minister will look into it.

Another point is regarding wasteland. There is so much of wasteland; about 63.85 million hectares. These can be given to the jobless people so that they can grow forests and medicinal plants and that will generate employment.

Regarding Panchayati Raj, Sir, the 74th Amendment was brought by Shri Rajiv Gandhi. Thirty three per cent reservation for women has been implemented. Thirty three per cent women are there in every Panchayat and in local body. In Karnataka about 45 per cent of the selected offices are occupied by women. In Uttar Pradesh 54 per cent of Zilla Panchayat *Pradhans* are women. Similarly, in Tamil Nadu 36 per cent Chairpersons of Gram Panchayats are women. Sir, in Karnataka, the three-tier system is there and Gram Panchayats, Taluka and Zilla Panchayats are working very hard. Gram Panchayat which is the lowest level in a village looks after the task of improving agriculture, art and culture, providing good infrastructure like roads, culverts and maintaining them and providing drinking water. But, unfortunately, the grant we will give to the village Panchayat is not enough.

I request the hon. Minister to see that they get more funds to perform effectively.

Another point is regarding the five years' term and the rotation system. Every elected body has to undergo training and every five years, we will have to change it. I request the hon. Minister to see that the term instead of five years, it should be ten years. There should be ten years term not only for women, but for everybody so that they can work effectively and the training can also be given one time. Thank you very much for giving me the opportunity. I have so much to say, but you are not giving me enough time. Thank you.

SHRI B.S. GNANADESIKAN (Tamil Nadu): Sir, I am happy to participate in the discussion of the Ministries of Panchayati Raj and Rural Development. Both the Ministries are interwoven, and we have very excellent Ministers heading the two Ministries, doing wonderful job. One hails from my State; therefore, I am proud of it. Sir, in the Annual Report, aptly, they have quoted the words of Vivekananda that the real India lives in the villages; therefore, the strengthening of Panchayati Raj, can be done only by providing proper schemes, through rural development schemes. This is the saying of Vivekananda. Sir, the poet Bharathi, from Tamil Nadu

The Vice-Chairman (SHRI DATTA MEGHE) in the Chair

said,"if we cannot provide food for even a single individual, destroy this world." These are the words of Poet Bharathi. The object of various schemes, involving crores of rupees, evolving schemes or projects, is only to uplift the rural poor and also to eradicate poverty in the villages. Sir, the object of our Panchayati Raj System, which was a dream of our late Rajivji is only to develop the local-level leadership, political empowerment, enhancing the ordinary man and empowering him with the political leadership at the grass-root level. Only with these objects, the 73rd Amendment was made; on the basis of which now several enactments have been made by various States, creating Panchayati Raj Institutions, making reservations for the women. As far as statistics goes, out of 22 lakh Panchayat Presidents in this country, 9 lakh women are occupying these positions, and 59,000 women as Panchayat Chairpersons, at all the three levels, is one of the greatest achievements which we have achieved in free India.

Sir, one aspect is this. We frame schemes, we plan, but at the time of implementation, there are a lot of difficulties. The reason may be

the federal structure of our country, because the funds are allotted by the Centre, the schemes are framed by the Centre, with the good intention, the projects are made, and, then, funds are transferred to the States. Every political party says that States should be given a free hand, States should have a free autonomy, States must have a free right to do and to decide things on their own, and Centre's intervention should be only limited. But when it comes to the local self-Governments, which is, panchayats, when the Panchayats ask more power, no State is prepared to give. This is the position in this country. There are two, three aspects which I want to touch, because many of my learned colleagues have said many things. The one is regarding the five year term, which our esteemed colleagues, Dr. Prabha Thakur and Shrimati Prema Cariappa, have already spoken about it. Sir, five-year term is not sufficient. The reason is, they acquire knowledge, they get a training, and when they are about to settle down, their term ends. In Tamil Nadu, we have ten-year reservation. Except Tamil Nadu, I don't think any other State is having ten-year reservation. Therefore, there should be a uniform policy for ten years' reservation in every State. There are several lacuna in enacting the local laws in various States. For instance, as far as Tamil Nadu is concerned, there are direct elections to the Mayor. For Municipal Chairman, there is a direct election. What happens, the Ward Councillors are elected on different party tickets. Suppose in a given situation, the Municipal Chairman or a Mayor belongs to one political party and the Councillors and the Ward Members in the municipal town belongs to other political parties, then this type of situation is very awkward. The Mayor or the Municipal Chairman cannot do anything. Unless he satisfies the other Members of the Council or the Corporation, he cannot function. Therefore, I request the hon. Minister to see that while enacting a law, though it is not within our purview, kindly call the Chief Ministers of all the States and try to arrive at a consensus on both the issues, namely, on the issue of reservation of women and with reference to the electoral process and also on other issues which I have already mentioned.

Sir, I agree with my esteemed colleague, Shri Abani Roy. I also feel very strongly that politics should not be there in local bodies. We have enough of politics in Assembly elections and parliamentary elections. Therefore, at least, at the local level, in the local bodies, there need not be any political party. But, at the same time, I would like to say that if you want a political system to survive at that level, I request that the system which should be followed should be similar to the system which we follow in

parliamentary democracy and assembly democracy, namely, the majority which captures the Council or Corporation or the majority party which captures the Municipal Council, the Collector should call the leader of that party to be the Municipal Chairman or the Mayor of the Corporation. The same system which is followed in parliamentary elections as well as in Assembly elections, should be followed at the level of local bodies also. As a result of it, the problem, which arises on account of the Ward Councillors, the Chairman and the Mayor belonging to different parties, will be solved. That is my suggestion for the hon. Minister to evolve.

Sir, we talk so much about the schemes. But when we plan schemes, it does not percolate down to the grassroots level. That is what our great Rajivji said. He said, 'When we plan and transfer hundred rupees from Delhi, it is only one rupee which reaches the village.' That is the system because there is a dilution, transfer or diversion of funds. That has to be monitored properly by the Ministry. The job of the Ministries or the Union is not only to allot funds, which is from the tax-payers' money, but the job of the Ministry as well as our Union Government is also to see that the accountability has to be fixed at the local level. The accountability should be fixed at the State level, and there should be a proper accountability and also the implementation of the project at the local level. The representatives of the people, the MPs and the MLAs, must be allowed to inspect it. They must be allowed to scrutinise the records, and, if necessary, they should send a report to the concerned Union Ministers as well as the concerned Ministries. If this system is not followed, what happens is that the distribution is not proper. We call it local-self Government. The word used is 'local self-Government'. But they are at the mercy of *Tehsildars*. The Presidents are at the mercy of *Tehsildars*. They are at the mercy of Collectors; they are at the mercy of local MLA or local MP. No Panchayat President can decide anything on his own. He does not know what is the scheme, which is meant for his village. He doesn't know what the law is. He does not know from where he can get it. He entirely depends upon the bureaucracy for effective functioning at the local level. This system has to change. Unless you change that system, whatever amount of money, crores of rupees, which you may transfer from the Centre to the various States and to the local bodies, I don't think we will have a transformation of the real village panchayat, the local self-government.

Sir, our hon. Prime Minister has said that effective and sustainable poverty alleviation could be achieved only by empowering Panchayati Raj

institutions in letter and spirit. So, Sir, that has to be achieved, if you want the real panchayat system. Our hon. Prime Minister has also said 'create rural business hubs in the villages'. In this direction, the Ministry has also taken steps and the private-public-panchayat cooperation and cooperation from other sectors is now sought in this regard. They are trying in that direction. Sir, I compliment the UPA Government on two aspects. I compliment the UPA Government for two important schemes. One is, the Rural Employment Guarantee Act, which is for guaranteeing minimum employment. The other is, the dream of our Prime Minister and my leader Soniaji of *'Bharat Nirman* Porject'. These two projects are the best projects in free India for eradication of poverty and to uplift the rural poor in this country. The manifesto of Congress Party promises all these things, which have been agreed upon by all the political parties supporting this Government in their Common Minimum Programme, which this Government, over the last two years, have been implementing faithfully and fruitfully.

Sir, I would take only two minutes more. Nearly Rs. 24,480 crores were made available to the Ministry of Rural Development in 2005-06 and Rs. 31,443.62 crores is the estimate for 2006-07, which is an enormous amount that has been allotted by the UPA Government for this purpose.

Sir, land reforms is one of the important aspects, which many hon. Members have stressed upon. I would request, Sir, when we distribute lands to the landless poor, we need not distribute one acre, half acre or two acres; he cannot do anything with that. I would, therefore, urge upon the hon. Minister to form cooperative societies and allot large areas of lands, so that they could collectively use modern mechanisms and techniques for agricultural operations. Unless that system is followed, merely giving half or one acre to the landless poor would not solve the problem; he cannot do anything.

Sir, hon. Member, Dr. P.C. Alexander, talked about new schools and healthcare in the village. I wish to quote an incident here. When Shri Kamaraj, the late Chief Minister and leader of Tamil Nadu, was there, he implemented the programme of education in the rural areas. The procedure that he followed was, an Education Officer would go with the officials to a village, call all the villagers to a common place and say -- 'We have come here to open a school. Can anyone here provide a rent-free school building? This does not happen nowadays, but in those days one of the rich men would come forward and say -- take my house. That house would be converted into a school. The blackboard would be there in the jeep. It is

immediately shifted there. Then, the Education Officer would say -- this is the teacher for your village. It was called the 'Ore Asiriyar' system, which meant 'one teacher for each village. That system was adopted when Shri Kamaraj was there. Though on account of a number of statutory rules, it is not possible to make on-the-spot appointments nowadays, that system needs to be taken as a guideline for the purpose of improving education and healthcare.

Sir, many of the villagers are finding it difficult even to test blood pressure, which is one of the simplest things. There is no equipment, no persons available in the rural villages. Some measures should be there in the rural villages to provide minimum healthcare, for diabetes and blood pressure, so that at least they could go to the town, and have a massive check up later. This is the minimum guarantee; a man requires a minimum of these things in a village.

Sir, nearly 1,46,00,185 kilometres of rural roads are going to be laid. Constructing roads is not sufficient. Creating the capacity for a man to travel on that road is more important. Therefore, rural roads alone would not make a man in a village travel to the urban areas. The capacity to travel on that road is one of the prime needs, which needs to be provided by the Ministry.

Sir, I wish to say one sentence. A French scholar sarcastically said, "the law in its majestic equality, treated the rich as well as poor alike, namely, it prohibits the rich and the poor to sleep under the bridge, steal a bread and beg in the street.' That is the law. Now, the poor is suffering and the Government's responsibility is to save the poor.

Sir, the power and prestige of the British crown depends upon the person who wears it. The Union Government's power and prestige is also with the person who heads it. We are proud that Dr. Manmohan Singhji's leading this Government. Thank you, Sir.

DR. RADHAKANT NAYAK (Orissa): Thank you very much, Sir. I would like to raise only two small points for the consideration of the two hon. Ministers.

Sir, an institution is measured or assessed in terms of its structure and its functions. In terms of structure, we have a perfect model. But in terms of functions, it is caught up with a large number of procedural rigmaroles. You are aware of the structure, Sir. We have the Central Government, the State Government, District and the Zilla Parishad. We have

a three-tier system at higher and again, a three-tier system at the lower level - the Zilla Parishad, the Panchayat Samiti, Wards and the Village Committees. With these five steps in order to have any kind of procedure and to evolve a coherent or a simplified procedure is extremely difficult. I wonder whether any kind of study has been made in order to evaluate the structure of Panchayats, as well as their functions, the way they function.

Sir, you are aware as the letter of the law stands that we cannot omit any of these levels from its five fold structure. I would like to know whether any thought is being given for level jumping; whether any thought is being given in order to eliminate one or two levels; whether any study is being made or any thought is being given in the extremely important matters like when a law is passed in the Parliament; from the Government - it definitely takes not less than six months to reach the village level. It is in that context, Sir, that we have to find out whether the kind of model that we have created will really subserve the interest of the rural people. I would like to know whether a model like Chinese Communes or the Israeli Kibutzs at the local level can be established in the place of the model that we have created or the structures that we have set up in order to make rural administration more functional land more effective.

Sir, in terms of procedures I only want to highlight one point. Just as our society is stratified, the villages are also highly stratified, and there we have two kinds of leadership patterns. One is the traditional leadership pattern and the other is the modern leadership pattern which the Panchayats have thrown up. There is a perennial conflict between these two kinds of leaderships. One is informal and the other is formal. Definitely, in a democratic set-up, no formal institution of any kind can be free from politics and naturally when politics is injected into this structure at the lowest level, you know what happens. The poor remains somewhere else, and the programmes are implemented the way they are done done as we understand. Sir, in such a situation, the participatory mechanism that has been evolved under the Panchayati Raj system has not, at all, resulted in any kind of effectiveness. Because non-participation is complete at the ground level and all our women, untouchables or tribals, as many of our hon. Members have spoken, remain outside the Panchayati Raj System. They are either excluded or they become totally silent and become part of the silent majority in the country. It is in this context, Sir, that I would very humbly suggest to both the Ministers, who are very wise and, at the same time, are very experienced, whether any study is being made to find out that

the structure that we have evolved and the functions that we have entrusted to each of these levels are yielding the best possible results.

The third small point that I want to raise is: What is this urban-rural continuum and to what extent this continuum is facilitating the information inflow as well as information outflow? In that context, I ask, whether the system of rural development that is in place at the ground level will, at all, help us to build some kind of a social or rural capital in the country. Sir, in economic terms, we think of growth of the country at the rate of 8 per cent, 9 per cent, or 10 per cent. But in what way, to what extent and in what manner the rural poverty will have to be eliminated? It is not alleviated because there is a story of alleviation. When we use the word alleviation, Sir, I am always reminded of a story written as an illustration in the Oxford Dictionary. It is a small story. There are two persons who were inside a jail for about ten years. Then they got bored. Somebody was giving them food and someone else was giving water. That was enough. Thereafter, they started singing to get out of the boredom. That is how the term alleviation of drudgery or the difficulty is used. So, poverty has to be eradicated not merely alleviate. May I ask, what is the vision that these two Ministries have in this regard. I am talking about rural poverty. What is the time-frame within which the social or human capital will be built up and the benefit retention and growth mechanism will be put in place, and the rural poor can actually overcome the drudgery and poverty in this country. Sir, there are so many connected issues that cannot be discussed in this short span of time and there are many other speakers. But, I would very humbly urge that the structure, functions and the vision; if these Ministries could kindly think and put something in place before the country regarding rural development and Panchayati Raj, I would be grateful. Thank you.

डा0 फागुनी राम (बिहार) : वाइस-चैयरमेन साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। कहा गया है कि, "अपना हिंदुस्तान कहां, वह बसा हमारे गांव में।" महोदय, एक श्लोक है, "संगति श्रेयषां पूंजा स्वकुलेरेपि, तुषेनापि परित्येत्या, न प्रवेशेहन्ति तन्दूला।" इसका अर्थ है, अपने समाज के छोटे-से-छोटे व्यक्ति से संपर्क रखता हुआ, उसको ध्यान देता हुआ ही कोई व्यक्ति उन्नति कर सकता है, उसको छोड़कर नही। उदाहरण के लिए जब चावल भूसा के साथ रहता है, तो पनप जाता है और सैकड़ों धान लाता है, लेकिन अलग होने पर कम लाता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DATTA MEGHE): Mr. Faguni Ram, I request you to wait for one minute. There is a statement by Shri Arjun Singhji.